

इसे वेबसाईट www.govtprintmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 29]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 22 जुलाई 2022—आषाढ़ 31, शक 1944

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश,
(3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं,
(4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश
और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की
अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,
(3) संसद् में पुरस्थापित विधेयक,
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम,
(3) संसद् के अधिनियम,
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, बल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 21 जून 2022

क्र. एफ 5-05-2022-एक (1).—माननीय न्यायाधिपति श्री
सतीश कुमार शर्मा, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय, खण्डपीठ ग्वालियर
का ओ.एस.डी.-कम-पी.पी.एस., उच्च न्यायालय, जबलपुर से प्राप्त
प्रस्ताव क्रमांक सी-2314/(दो-1-27/2021), दिनांक 11 मई 2022
के अनुक्रम में, दिनांक 20 अप्रैल से 1 मई 2022 तक के सार्वजनिक
अवकाश के साथ ए.ल. टी. सी. का उपभोग करने के कारण भारत

सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, नई दिल्ली के
ज्ञापन क्रमांक एफ क्र. 31011/4/2008-Estt(ए), दिनांक
23 सितम्बर, 2008 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत दस दिवस के
पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति उच्च
न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1954 की
धारा 13 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है।

अवकाश नगदीकरण का यह छठवां अवसर है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रंजना पाठने, उपसचिव.

गृह विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 जुलाई 2022

क्र. एफ 1(ए) 59-2012-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री अशोक गोयल, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस सुधार, पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 27 जून से 8 जुलाई 2022 तक, बारह दिवस का अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान करता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अशोक गोयल, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस सुधार, पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री अशोक गोयल, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अशोक गोयल, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

भोपाल, दिनांक 28 जून 2022

क्र. एफ 1(ए) 105-2016-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्रीमती यांगचेन डोलकर भूटिया, भापुसे, सेनानी, 15वीं वाहिनी बिसबल, इन्दौर को दिनांक 14 से 27 मार्च 2022 तक, चौदह दिवस लघुकृत/परिवर्तित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है।

(2) उक्त अवकाश के उपभोग के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से 28 दिवस अर्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्रीमती यांगचेन डोलकर भूटिया, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती यांगचेन डोलकर भूटिया, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर बनी रहती।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनू भलावी, अवर सचिव।

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 14 जुलाई 2022

फा. क्र. 2784-2022-इकोस-ब (एक).—राज्य शासन, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 (1984 का सं. 66) की धारा 4 सहपठित मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अन्तर्गत उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्नलिखित न्यायिक अधिकारियों को एतद्वारा, उनके नाम के समुख दर्शाये अनुसार उक्त पद पर पदभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश होने तक, प्रतिनियुक्त पर नियुक्त करता है:—

क्र. न्यायिक अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना

(1) (2)

- 1 श्री देवेन्द्र पाल सिंह गौर, माननीय महामहिम मध्यप्रदेश के राज्यपाल के विधि अधिकारी, भोपाल।
- 2 श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डी.एल.एस.ए.), विदिशा।
- 3 कु. सुमन श्रीवास्तव, पांचवें जिला एवं अतिरिक्त न्यायाधीश, इन्दौर।

नवीन पदस्थापना

(3)

प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, नरसिंहपुर की हैसियत से श्री सुदीप कुमार श्रीवास्तव (सीनियर) की दिनांक 31 जुलाई 2022 को सेवानिवृत्ति होने से।

प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, गुना की हैसियत से श्री कासिफ नदीम (खान) के स्थान पर तथा इसके साथ वह माह में 10 दिन कुटुम्ब न्यायालय, अशोकनगर में श्रृंखला न्यायालय भी आयोजित करेंगे।

प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, सीहोर की हैसियत से श्री अनिल कुमार अग्रवाल के स्थान पर।

उक्त अधिकारियों को देय वेतन तथा भत्ते का निर्धारण मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. के. द्विवेदी, प्रमुख सचिव।

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 8 जुलाई 2022

क्र. एफ 16-40-2020-ए-ग्यारह.—बॉयलर एक्ट, 1923 की धारा 34(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, मेसर्स भारत ओमान रिफायनरीस लि., बीना, जिला-सागर, मध्यप्रदेश को वाष्यंत्र क्रमांक एमपी/5297, एमपी/5294, एमपी/5295 एवं एमपी/5296 को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6(सी) के प्रवर्तन से दिनांक 02 जून 2022 से 1 जून 2023 तक की अवधि हेतु छूट प्रदान करता है:—

- संदर्भाधीन बॉयलर को पहुंचने वाली किसी हानि की सूचना बॉयलर्स अधिनियम, 1923 की धारा 18(1)की अपेक्षानुसार तत्काल संचालक बॉयलर मध्यप्रदेश, भोपाल को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने की दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.
- उपर्युक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार संचालक बॉयलर मध्यप्रदेश के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बॉयलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

3. संदर्भाधीन बॉयलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि खतरनाक स्थिति में पाया गया तो छूट समाप्त हो जावेगी.

4. नियत कालिक सफाई और नियमित रूप से तलक्षण निकालने (रेग्युलर ब्लोडाइन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

5. भारतीय बॉयलर अधिनियम विनियम, 1950 के विनियम, 385 के अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बॉयलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम दी जावेगी.

6. यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है.

7. आवेदक द्वारा दिये गये आवेदन-पत्र एवं संचालक, वाष्यंत्र द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर छूट अवधि में किसी भी तरह की दुर्घटना का दायित्व आवेदक फर्म/इकाई का होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
क्षी. के. बरोनिया, अपर सचिव,

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 14 जुलाई 2022

सूचना

क्र. एफ-3-31-2022-अठारह-5.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, (संशोधित) 1973 (क्रमांक 1 सन् 2012) की धारा 23 “क” की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, वि.क.अ.-सह-आयुक्त-सह-संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल, की सूचना क्रमांक 1381-टी.सी-87-छिन्दवाड़ा-बालाघाट-उपां-नग्नानि-2021, भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2022 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित बालाघाट विकास योजना 2021 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे एवं शर्तें निम्नानुसार हैं :—

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम	नजूलशीट ब्लॉक क्रमांक	प्लाट क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपांतरण पश्चात् प्रस्तावित भू-उपयोग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	बालाघाट	306	21	0.7689 में से 0.044973 योग . . 0.7689 में से 0.044973	सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक एवं मार्ग.	मिश्रित एवं मार्ग (पुनर्धनत्वीकरण योजना).

शर्तें—

- उक्त मिश्रित भूमि उपयोग परिक्षेत्र में स्वीकृत एवं स्वीकार्य गतिविधियों हेतु आवासीय, वाणिज्यिक तथा सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक उपयोग परिक्षेत्र में उल्लेखित समस्त गतिविधियां मान्य होंगी.
- उक्त मिश्रित गतिविधियों हेतु नियमन, मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के प्रावधानानुसार लागू होंगे.
- उपरोक्त उपांतरण बालाघाट विकास योजना 2021 का एकीकृत भाग होगा.

क्र. एफ-3-38-2022-अठारह-5.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, (संशोधित) 1973 (क्रमांक 1 सन् 2012) की धारा 23 “क” की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, वि.क.अ.-सह-आयुक्त-सह-संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल की सूचना क्रमांक 1343-टी.सी-79-सागर-दमोह-उपां-नगरानि-2021, भोपाल, दिनांक 29 मार्च 2022 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित दमोह विकास योजना 2031 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है। उपांतरण ब्यौरे एवं शर्तें निम्नानुसार हैं :—

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम	नजूलशीट ब्लॉक क्रमांक	प्लाट क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपांतरण पश्चात् प्रस्तावित भू-उपयोग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	दमोह	56-57	195	1.036 (2.56 एकड़) में से 0.2615	वर्तमान सार्वजनिक एवं अद्व-सार्वजनिक	मिश्रित
			योग . .	1.036 (2.56 एकड़) में से 0.2615		

शर्तें—

- उक्त मिश्रित भूमि उपयोग परिक्षेत्र में स्वीकृत एवं स्वीकार्य गतिविधियों हेतु आवासीय, वाणिज्यिक तथा सार्वजनिक एवं अर्ध-सार्वजनिक उपयोग परिक्षेत्र में उल्लेखित समस्त गतिविधियां मान्य होगी।
- उक्त मिश्रित गतिविधियों हेतु नियमन, मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के प्रावधानानुसार लागू होंगे।
- उपरोक्त उपांतरण दमोह विकास योजना 2031 का एकीकृत भाग होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव।

महिला एवं बाल विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 15 जुलाई 2022

क्र. 6067-2340-22-पचास-2.—किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का सं. 02) की धारा 4 की उपधारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में यथाविनिर्दिष्ट किशोर न्याय बोर्ड में, कॉलम (3) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिये उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिए, कॉलम (4) में यथाविनिर्दिष्ट न्यायिक अधिकारी को प्रधान मजिस्ट्रेट के रूप में पदांकित करता है, अर्थात् :—

अनुसूची

क्र.	किशोर न्याय बोर्ड और ¹ उसका मुख्यालय	जिले का नाम	प्रधान मजिस्ट्रेट का नाम एवं पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1	अनूपपुर	अनूपपुर	श्रीमती शिवानी असाटी, JMFC
2	सिंगरौली	सिंगरौली	श्री आयुष कनेल, JMFC

No. 6067-2340-22-L-2.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of Section 4 of the Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act, 2015 (No. 02 of 2016), the State Government hereby designates Judicial Officers as specified in column No. (4) as the Principal Magistrate in the following Juvenile Justice Board as specified in the column (2) of the Schedule below for the District as specified in column (3) thereof for the purpose of exercising of the powers and discharging the duties conferred on such Board under the said Act, namely :—

SCHEDULE

S.No.	Name of the Juvenile Justice Board & its Head Quarter	Name of the District	Name of the Principal Magistrate & Designation
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Anuppur	Anuppur	Smt. Shivani Asati, JMFC
2	Singrauli	Singrauli	Shri Ayush Kanel, JMFC

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय कटेसारिया, उपसचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कुलाधिपति, मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर, मध्यप्रदेश

राजभवन, भोपाल, दिनांक 15 जुलाई 2022

क्र. एफ-1-5-22-रा.स.-यू.ए.1-914.—मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2011 (क्रमांक 19 सन् 2011) की धारा 12 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, मंगुभाई पटेल, कुलाधिपति, मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर एतद्वारा डॉ. अशोक खड़ेलवाल, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, आर्थोडोनिक्स एवं डेन्टोफेसियल आर्थोपेंडिक विभाग, दन्त विज्ञान कालेज एवं अस्पताल, राऊ जिला इन्डौर (म. प्र.) को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से चार वर्ष की कालावधि अथवा 70 वर्ष की आयु जो भी पूर्वतर हो के लिए मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर का कुलपति नियुक्त करत हूं।

2. इनकी सेवा की शर्तें एवं निबंधन विश्वविद्यालय के परिनियम-1 के अनुसार शासित होंगी।

3. यह आदेश दिनांक 17 अगस्त 2022 से प्रभावशील होगा।

मंगुभाई पटेल, कुलाधिपति.

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 8 जुलाई 2022

क्रमांक एफ 15-13/2020/10-2:: भारतीय वन अधिनियम 1927 (1927 का 16) की धारा-34(अ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतदद्वारा यह घोषणा करता है कि नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया गया वनक्षेत्र, जिसे इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक/9-X/58, दिनांक 10 जुलाई 1958 द्वारा संरक्षित वन के रूप में घोषित किया गया था, मध्यप्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से संरक्षित वन नहीं रहेगा तथा यह भूमि राजस्व विभाग को हस्तान्तरित मानी जायेगी।

अनुसूची

जिला- नर्मदापुरम

वनमंडल- नर्मदापुरम

तहसील-इटारसी

वन परिक्षेत्र- इटारसी

क्र.	वन परिसर का नाम	वनखण्ड का नाम	वन कक्ष का क्रमांक	क्षेत्रफल (हे.में) जो संरक्षित वन नहीं रहेगा	संरक्षित वन नहीं रहने का कारण	संरक्षित वन नहीं रहने वाले क्षेत्र की सीमायें
1	2	3	4	5	6	7
1	जमानी खोरी	(नया) कक्ष क्र. पी.एफ.- 143 (पुराना) कक्ष क्र. पी.एफ.- 51	270.00	भारत सरकार की स्वीकृति क्रमांक F.No.8- 19/2017-FC दिनांक 06.09.2017 की शर्त क्रमांक-1 के पालन में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व नर्मदापुरम के संरक्षित क्षेत्र से विस्थापित वनग्राम माना भाग-2 को वनमंडल (सामान्य) नर्मदापुरम की वनभूमि पर बसाये गये स्थल की वनभूमि का निर्वनीकरण	उत्तर- संरक्षित वनखण्ड खोरी के पुराना मुनारा क्रमांक-154 से नवीन कृत्रिम लाईन नया मुनारा क्रमांक 154/1 से होकर पुराना मुनारा क्रमांक 157 तक एवं पुराना मुनारा क्रमांक-157 से कृत्रिम लाईन पुराना मुनारा क्रमांक 160 से होकर पुराना मुनारा क्रमांक 161/1 तक तथा नवीन कृत्रिम लाईन पुराना मुनारा क्रमांक 161/1 से नया मुनारा क्रमांक 161/10 तक एवं कृत्रिम लाईन नया मुनारा क्रमांक 161/10 से आरक्षित वनखण्ड नीलगढ़ के पुराना मुनारा क्रमांक 170 तक। पूर्व- आरक्षित वनखण्ड नीलगढ़ की सीमा पुराना मुनारा क्रमांक 170 से नया मुनारा क्रमांक 168/1 तक एवं वनखण्ड नीलगढ़ के नया मुनारा क्रमांक- 168/1 से नवीन कृत्रिम लाईन संरक्षित वनखण्ड खोरी के कक्ष क्रमांक पी.एफ.-144 के नया मुनारा क्रमांक 26/18 तक। दक्षिण- संरक्षित वनखण्ड खोरी के कक्ष क्रमांक पी. एफ-144 के नया मुनारा क्रमांक-26/18 से कृत्रिम लाईन पुराना	
		(नया) कक्ष क्रमांक पी.एफ.- 144 (पुराना) कक्ष क्रमांक पी.एफ.- 50				

					<p>मुनारा क्रमांक 27 एवं 28 से होकर पुराना मुनारा क्रमांक 29/1 तक एवं पुराना मुनारा क्रमांक 29/1 से नवीन कृत्रिम लाइन नया मुनारा क्रमांक 2 एवं 3 से होकर पुराना मुनारा क्रमांक 34/4 तक तथा पुराना मुनारा क्रमांक 34/4 से कृत्रिम लाईन पुराना मुनारा क्रमांक 36/1 तक, ग्राम झालपा की उत्तरी सीमा।</p> <p>पश्चिम- नवीन कृत्रिम लाइन संरक्षित वनखण्ड खोरी के कक्ष क्रमांक पी.एफ.-144 के पुराना मुनारा क्रमांक-36/1 से पुराना मुनारा क्रमांक- 145/10 तक, तिलक सिंदूर से जमानी रोड सीमा एवं कृत्रिम पुराना मुनारा क्रमांक- 145/10 से पुराना मुनारा क्रमांक-154 तक संरक्षित वनखण्ड खोरी की पश्चिमी सीमा।</p> <p>आंतरिक भू-खण्ड:</p> <p>(1) भू-खण्ड क्रमांक-1: मुनारा क्रमांक-1 से मुनारा क्रमांक 4 तक एवं मुनारा क्रमांक-4 से मुनारा क्रमांक-1 तक निरूपित है। (भू-खण्ड क्रमांक-1 का क्षेत्रफल-4.5 हेक्टे.)</p> <p>(2) भू-खण्ड क्रमांक-2: मुनारा क्रमांक-1 से मुनारा क्रमांक 8 तक एवं मुनारा क्रमांक- 8 से मुनारा क्रमांक-1 तक निरूपित है। (भू-खण्ड क्रमांक-2 का क्षेत्रफल-8.00 हेक्टे.)</p> <p>(3) भू-खण्ड क्रमांक-3: मुनारा क्रमांक 1 से मुनारा क्रमांक-7 तक एवं मुनारा क्रमांक-7 से मुनारा क्रमांक-1 तक निरूपित है। (भू-खण्ड क्रमांक-3 का क्षेत्रफल-12.00 हेक्टे.) को छोड़कर।</p>
--	--	--	--	--	---

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पदमाप्रिया बालाकृष्णन, सचिव.
भोपाल, दिनांक 8 जुलाई 2022

क्र. एफ-15-13-2020-दस-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-15-13-2020-दस-2, दिनांक 8 जुलाई 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पदमाप्रिया बालाकृष्णन, सचिव.

Bhopal, the 8th July 2022

No. F 15-13/2020/10-2 :: In Exercise of powers conferred by Section 34(A) of the Indian Forest Act, 1927 (No. XVI of 1927) the State Government hereby declares that the Forest area as specified in the Schedule below, which was declared as Protected Forest by the Notification Number/9-X/58, Date 10 July 1958 of Madhya Pradesh Forest Department, will cease to be Protected Forest with effect from the date of publication of the notification in Madhya Pradesh Gazette and this land shall stand transferred to the Revenue Department.

SCHEDULE

District: - Narmadapuram

Forest Division: - Narmadapuram

Tehsil :- Itarsi
Forest Range - Itarsi

S. No	Forest Beat	Forest Block	Forest Compartment Number	Area in Hectare Ceased to be Protected Forest	Brief description of reasons for Ceasing Protected Forest	Boundaries of Forest land Ceased to be Protected Forest
1.	Jamani	Khori	(New)PF-143 (Old)PF-51	270.00	The denotification of the forest land diverted for the rehabilitation of village Mana Part-2 from Satpura tiger Reserve vide the sanction issued by MOEF&CC letter no./F.No. 8-19/2017 date 06.09.2017.	<p>North:- New Artificial cut line of Protected Forest Block Khori from old Pillar No.-154 to old Pillar No.-157, through New Pillar No.-154/1 and Artificial line from old Pillar No.-157 to old Pillar No. 161/1, through old Pillar No.-160 and New Artificial cut line from old Pillar No.161/1 to New Pillar no. 161/10 and Artificial line from New Pillar No.-161/10 to old Pillar No.- 170 of Reserve Forest Block Nilgadh.</p> <p>East:- Reserve Forest Block Nilgarh boundary from old Pillar No.-170 to New Pillar No. 168/1 and New Artificial cut line from New Pillar No. 168/1 of Reserve Forest Block Nilgarh to New Pillar No.-26/18 of Protected Forest Block Khori Compartment no.P.F. -144.</p> <p>South:- Artificial line of Protected Forest Block Khori Compartment no.P.F.-144 from New Pillar No.-26/18 to old Pillar No.-29/1, through old Pillar No.-27 & 28 and New Artificial cut line from old Pillar No.-29/1 to old Pillar No.34/4, through New Pillar No-2&3, and Artificial line from old Pillar No.-34/4 to old Pillar No. 36/1, North boundary of village Jhalpa.</p> <p>West:- New Artificial cut line of Protected Forest Block Khori from compartment no.P.F.-144 of old Pillar No.-36/1 to old Pillar No.-145/10, Tilak Sindur to Jamani road boundary and Artificial line from old Pillar No.-145/10 to old Pillar No. 154 West boundary of Protected Forest Block Khori.</p> <p>Internal Plot:- (Excluded) Plot No. 1: Plot boundary from Pillar No.-1 to Pillar No.-4 and Pillar No.-4 to 1 (Plot No.-1 Area- 4.5 ha.)</p> <p>Plot No.-2: Plot boundary from Pillar No.-1 to Pillar No.-8 and Pillar No.-8 to Pillar No.-1. (Plot No.-2 Area- 8.00 ha.)</p> <p>Plot No.-3: Plot boundary from Pillar No.-1 to Pillar No.-7 and Pillar No.-7 to Pillar No.-1 (Plot No.-3 Area 12.00 ha.).</p>

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh.
PADMAPRIYA BALAKRISHNAN, Secy.

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 18 जुलाई 2022

क्र. एफ-15-3-22-सात-शा.7.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 34(अ) के प्रावधानों के अन्तर्गत नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम क्रमांक (7) में वर्णित अधिसूचना के माध्यम से मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग द्वारा अनुसूची के कॉलम क्रमांक (2) में वर्णित वन परिक्षेत्र के अनुसूची के कॉलम क्रमांक (5) में वर्णित क्षेत्रफल अनुसार भूमि का निवर्णकरण कर मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग को हस्तांतरित की गई है। अतः राज्य सरकार, एतद्वारा, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 2 की उपधारा (1) खण्ड (य-5) की शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में वर्णित हस्तांतरित वन परिक्षेत्र को कॉलम क्रमांक (4) में उल्लेखित नाम से नवीन राजस्व ग्राम घोषित करती है:—

अनुसूची

जिला-पन्ना

क्र.	वन परिक्षेत्र	तहसील	नवीन राजस्व	वन विभाग	वन ग्राम से राजस्व ग्राम बनाए	वन भूमि को राजस्व भूमि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	पन्ना	पन्ना	नवीन झालर	द्वारा राजस्व विभाग को हस्तांतरित भूमि का क्षेत्रफल (हे.में)	गए ग्राम की चतुर्सीमाएं	में परिवर्तित करने हेतु जारी म. प्र. शासन
	वन कक्ष क्र. पी.एफ.-434					वन विभाग की अधिसूचना का विवरण
2	देवेन्द्र नगर	पन्ना	नयी बस्ती पुखरा.	221.00	उत्तर—कृत्रिम मुनारा क्रमांक 01 से 06 तक. पूर्व—कृत्रिम मुनारा क्रमांक 06 से 12 तक दक्षिण—कृत्रिम मुनारा क्रमांक 12 से 15, 16 एवं 16ए तक. पश्चिम—कृत्रिम मुनारा क्रमांक 16 ए, से नाला सीमा होते हुए मुनारा क्रमांक 01 तक.	एफ 15-14-2020- दस-2, दिनांक 18 जनवरी 2022.
	वन कक्ष क्र. पी.एफ.-105, 106, 107, 108.			379.51	उत्तर—कृत्रिम मुनारा क्रमांक 01 से 05 तक एवं 43 से 01 तक. पूर्व—कृत्रिम मुनारा क्रमांक 05 से 11 तक एवं 01 से 07 तक. दक्षिण—कृत्रिम मुनारा क्रमांक 11 से 20 तक एवं 07 से 31 तक. पश्चिम—कृत्रिम मुनारा क्रमांक 20 से 01 तक एवं 31 से 43 तक.	एफ 15-14-2020- दस-2, दिनांक 18 जनवरी 2022.

क्र. एफ-15-03-2022-सात-7.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 34(अ) के प्रावधानों के अन्तर्गत नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम क्रमांक (7) में वर्णित अधिसूचना के माध्यम से मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग द्वारा अनुसूची के कॉलम क्रमांक (2) में वर्णित पूर्व वन परिक्षेत्र के अनुसूची के कॉलम क्रमांक (5) में वर्णित क्षेत्रफल अनुसार भूमि का निर्वनीकरण कर मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग को हस्तांतरित की गई है।

अतः, राज्य शासन, एतद्वारा, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 2 की उपधारा (1) खण्ड (य-5) की शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में वर्णित हस्तांतरित वन ग्राम को कॉलम क्रमांक (4) में उल्लेखित नाम से नवीन राजस्व ग्राम घोषित करता है:—

अनुसूची

जिला-छिन्दवाड़ा

क्र.	पूर्व वनग्राम	तहसील	नवीन राजस्व	वन विभाग	वन ग्राम से राजस्व ग्राम बनाए गए ग्राम की चतुर्सीमाएं	वन भूमि का राजस्व भूमि में परिवर्तित करने हेतु जारी मध्यप्रदेश शासन वन विभाग की अधिसूचना का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	खैरांज परिक्षेत्र	बिछुआ	नया खैरांज	72.000	पूर्व—डोलापांजरा पश्चिम—किसनपुर एवं वन विभाग उत्तर—पिपरियाकला दक्षिण—गवारीमाल	मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15-04-2021-दस-2, दिनांक 17 सितम्बर 2021.

क्र. एफ 15-04-2022-सात-7.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 27 के प्रावधानों के अन्तर्गत नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम क्रमांक (7) में वर्णित अधिसूचना के माध्यम से मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग अनुसूची के कॉलम क्रमांक (2) में वर्णित वन परिक्षेत्र के अनुसूची के कॉलम क्रमांक (5) में वर्णित क्षेत्रफल अनुसार भूमि का निर्वनीकरण कर मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग को हस्तांतरित की गई है।

अतः राज्य शासन, एतद्वारा, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 2 की उपधारा (1) खण्ड (य-5) की शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में वर्णित हस्तांतरित वन परिक्षेत्र को कॉलम क्रमांक (4) में उल्लेखित नाम से नवीन राजस्व ग्राम घोषित करता है:—

अनुसूची

जिला-मण्डला

क्र.	पूर्व वन	तहसील	नवीन राजस्व	वन विभाग	वन ग्राम से राजस्व ग्राम बनाए गए ग्राम की चतुर्सीमाएं	वन भूमि को राजस्व भूमि में परिवर्तित करने हेतु जारी मध्यप्रदेश शासन वन विभाग की अधिसूचना का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	वनखण्ड बी-14 इन्द्री वन कक्ष क्र. आर एफ 354 (पुराना) आर एफ 308 (नया)	बिछिया	बोतलबहरा	46.17	उत्तर—बंजर नदी पूर्व-वन पूर्व—वन ग्राम मानेगांव की पश्चिम सीमा दक्षिण—आरक्षित वन कक्ष 308 पश्चिम—आरक्षित वन कक्ष 308	एफ 15-17-2020-दस-2, दिनांक 16 सितम्बर 2021.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	वनखण्ड बी-8 तेंदुआ वन कक्ष क्र. आर एफ 1444 (पुराना) आर एफ 32 (नया).	बिछिया	इंद्रा	253.333	उत्तर—ग्राम खलौड़ी की दक्षिणी सीमा एवं आरक्षित वन कक्ष 32. पूर्व—नारंगी वन कक्ष 39 एवं आरक्षित वन कक्ष 38. दक्षिण—आरक्षित वन कक्ष 33 एवं ग्राम जैलवारा की सीमा. पश्चिम—आरक्षित वन कक्ष 30	एफ 15-18-2021- दस-2, दिनांक 27 अक्टूबर, 2021.
3	वनखण्ड एम-9 बेलालुटरा वन कक्ष क्र. आर एफ 1395, 1398 (पुराना) आर एफ 188, 176 (नया).	बिछिया	चीमागोदी	105.627	उत्तर—आरक्षित वन कक्ष 176 एवं 178 पूर्व—आरक्षित वन कक्ष 178 दक्षिण—आरक्षित वन कक्ष 176 एवं 178 पश्चिम—आरक्षित वन कक्ष 176	एफ 15-18-2021- दस-2, दिनांक 27 अक्टूबर, 2021.
4	वन खण्ड एम-11 दक्षिण फेन वन कक्ष क्र. आर एफ 1377, 1378, 1402 (पुराना) आर एफ 144, 145, 147 (नया).	बिछिया	टटमा	103.884	उत्तर—आरक्षित वन कक्ष 144 एवं 145 पूर्व—आरक्षित वन कक्ष 147 दक्षिण—आरक्षित वन कक्ष 147 पश्चिम—आरक्षित वन कक्ष 148	एफ 15-18-2021- दस-2, दिनांक 27 अक्टूबर, 2021.
5	वनखण्ड एम-11 दक्षिण फेन वन कक्ष क्र. आर एफ 1408, 1410, 1411 (पुराना) आर एफ 152, 153, 154 (नया).	बिछिया	खिस्काटांट	183.039	उत्तर—ग्राम लालपुर की सीमा एवं नारंगी वन कक्ष 162. पूर्व—नारंगी वन कक्ष 163 दक्षिण—आरक्षित वन कक्ष 153 पश्चिम—आरक्षित वन कक्ष 154	एफ 15-18-2021- दस-2, दिनांक 27 अक्टूबर, 2021.
6	वनखण्ड एम-11 दक्षिण फेन वन कक्ष क्र. आर एफ 1415 (पुराना) आर एफ- 136 (नया).	बिछिया	नवनादर	158.46	उत्तर—ग्राम नरहरगंज की सीमा पूर्व—ग्राम नेवसा एवं लालपुर की सीमा दक्षिण—आरक्षित वन कक्ष 134 पश्चिम—आरक्षित वन कक्ष-132, 133	एफ 15-18-2021- दस-2, दिनांक 27 अक्टूबर, 2021.

क्र. एफ-15-6-2022-सात-शा.7.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 27 के प्रावधानों के अन्तर्गत नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम क्रमांक (7) में वर्णित अधिसूचना के माध्यम से मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग द्वारा अनुसूची के कॉलम क्रमांक (2) में वर्णित वन परिक्षेत्र के अनुसूची के कॉलम क्रमांक (5) में वर्णित क्षेत्रफल अनुसार भूमि का निवर्णकरण कर मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग को हस्तांतरित की गई है। अतः, राज्य सरकार, एतद्वारा, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 2 की उपधारा (1) खण्ड (य-5) की शर्कियों को प्रयोग में लाते हुए नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में वर्णित हस्तांतरित वन परिक्षेत्र को कॉलम क्रमांक (4) में उल्लेखित नाम से नवीन राजस्व ग्राम घोषित करता है:—

अनुसूची

जिला-बालाघाट

क्र.	वन परिक्षेत्र	तहसील का नाम	नवीन राजस्व ग्राम	वन विभाग द्वारा राजस्व विभाग को हस्तांतरित भूमि का क्षेत्रफल (हे.में)	वन ग्राम से राजस्व ग्राम बनाए गए ग्राम की चतुर्सीमाएं	वन भूमि को राजस्व भूमि में परिवर्तित करने हेतु जारी म. प्र. शासन वन विभाग की अधिसूचना का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	गढ़ी बफर जोन (कान्हा टाईगर रिजर्व मंडला)-वन कक्ष क्र. आर एफ 844 (पुराना) आर एफ 108 (नया).	बैहर	मुरेण्डा	193.910	पूर्व—वन कक्ष क्रमांक 841 पश्चिम—वन कक्ष क्रमांक 843 उत्तर—वन कक्ष क्रमांक 843 दक्षिण—वन कक्ष क्रमांक 848 धोरी (वन ग्राम).	एफ 15-18-2021-दस-2, दिनांक 27 अक्टूबर 2021.
2	गढ़ी बफर जोन (कान्हा टाईगर रिजर्व मंडला)-वन कक्ष क्र. आर एफ 831 (पुराना) आर एफ 95 (नया).	बैहर	बाजघुन्दी	195.920	पूर्व—वन कक्ष क्रमांक 831 पश्चिम—वन कक्ष क्रमांक 842 उत्तर—वन कक्ष क्रमांक 828 (वनग्राम खिरसाडी). दक्षिण—वन कक्ष क्रमांक 841	एफ 15-18-2021-दस-2, दिनांक 27 अक्टूबर 2021.
3	गढ़ी बफर जोन (कान्हा टाईगर रिजर्व मंडला)-वन कक्ष क्र. आर एफ 846 (पुराना) आर एफ 110 (नया).	बैहर	सेमरखेरो	93.698	पूर्व—वन कक्ष क्रमांक 844 पश्चिम—आमाटोला (राजस्व ग्राम) उत्तर—वन कक्ष क्रमांक 845 दक्षिण—वन कक्ष क्रमांक 846	एफ 15-18-2021-दस-2, दिनांक 27 अक्टूबर 2021.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4	गढ़ी बफर जोन (कान्हा टाईगर रिजर्व मंडला)-वन कक्ष क्र. आर एफ 846 (पुराना) आर एफ 110 (नया).	बैहर	घुसीबहेरा	104.220	पूर्व—वन कक्ष क्रमांक 846 पश्चिम—कोयलीखापा (राजस्व ग्राम) उत्तर—आमाटोला (राजस्व ग्राम) दक्षिण—कोयलीखापा (राजस्व ग्राम)	एफ 15-18-2021- दस-2, दिनांक 27 अक्टूबर 2021.
5	गढ़ी बफर जोन (कान्हा टाईगर रिजर्व मंडला)-वन कक्ष क्र. आर एफ 852 (पुराना) आर एफ 116 (नया).	बैहर	जुवाड़ीटोला	41.690	पूर्व—वन कक्ष क्रमांक 850 जैतपुरी (वनग्राम). पश्चिम—वन कक्ष क्रमांक 853 उत्तर—वन कक्ष क्रमांक 847 दक्षिण—वन कक्ष क्रमांक 863	एफ 15-18-2021- दस-2, दिनांक 27 अक्टूबर 2021.
6	समनापुर बफर जोन (कान्हा टाईगर रिजर्व मंडला)-वन कक्ष क्र. आर एफ 1065 (पुराना) आर एफ 199 (नया).	बिरसा	बंधनखेरो	117.407	उत्तर—मु. क्र. 1 से 6 तक पूर्व—मु. क्र. 6 से 19 तक दक्षिण—मु. क्र. 19 से 24 तक मु. क्र. 24 से 29 तक कक्ष क्रमांक 199 की सीमा. पश्चिम—मु. क्र. 29 से 1 तक	एफ 15-18-2021- दस-2, दिनांक 27 अक्टूबर 2021.

क्र. एफ-15-07-2022-सात-7.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 34(अ) के प्रावधानों के अन्तर्गत नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम क्रमांक (7) में वर्णित अधिसूचना के माध्यम से मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग द्वारा अनुसूची के कॉलम क्रमांक (2) में वर्णित वन परिक्षेत्र के अनुसूची के कॉलम क्रमांक (5) में वर्णित क्षेत्रफल अनुसार भूमि का निवर्णकरण कर मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग को हस्तांतरित की गई है।

अतः राज्य शासन, एतद्वारा, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 2 की उपधारा (1) खण्ड (य-5) की शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में वर्णित हस्तांतरित वन परिक्षेत्र को कॉलम क्रमांक (4) में उल्लेखित नाम से नवीन राजस्व ग्राम घोषित करता हैः—

अनुसूची

जिला-छतरपुर

क्र.	वन परिक्षेत्र	तहसील का नाम	नवीन राजस्व ग्राम	वन विभाग द्वारा राजस्व विभाग को हस्तांतरित भूमि का क्षेत्रफल (हे.में)	वन ग्राम से राजस्व ग्राम बनाए गए ग्राम की चतुर्सीमाएँ	वन भूमि को राजस्व भूमि में परिवर्तित करने हेतु जारी म. प्र. शासन वन विभाग की अधिसूचना का विवरण	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	छतरपुर	राजनगर	नादिया बेहर	250.00	पूर्व—राजगढ़ पश्चिम—बाहरपुरा उत्तर—चुगरन दक्षिण—बरवसपुरा	एफ 15-14-2020- दस-2, दिनांक 18 जनवरी 2022.							
2	छतरपुर	राजनगर	एकलव्य गंगवाहा (एकलव्य नगर बेडरी) वन कक्ष क्रमांक पी-647.	250.00	पूर्व—देवगांव पश्चिम—हटना उत्तर—गंज दक्षिण—बेडरी टपरियन	एफ 15-14-2020- दस-2, दिनांक 18 जनवरी 2022.							

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
चन्द्रशेखर बालिम्बे, उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला रत्लाम, मध्यप्रदेश

रत्लाम, दिनांक 21 जून, 2022

क्र. 1867-भू-अर्जन-22

प्र. क्र. 01-अ-82-2022-23

सार्वजनिक सूचना

(अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन की आपसी से भूमि क्रय नीति 2014)

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि “अनुभाग जावरा के बरगढ़ फण्टा (एच एस-31) से भैसाना फण्टा (एच एस-31) मार्ग निर्माण योजना” अंतर्गत जिला रत्लाम की तहसील पिपलौदा के प.ह.नं. 46 के ग्राम हरियाखेड़ा के खाताधारकों की निजी भूमि मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय के आदेश क्रमांक एफ 12-2/2014 / सात/2 ए/भोपाल दिनांक 12/11/2014 के तहत आपसी सहमति से क्रय किया जाना प्रस्तावित है।

अतः निम्नलिखित भूमि में किसी व्यक्ति/संस्था को भूमि स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह अद्योहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में सूचना प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में आधार सहित आपत्ति प्रस्तुत करे। नियत अवधि पश्चात किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।

क्र.	कृषकगण का नाम व पिता का नाम	खसरा क्रमांक	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)			परिसम्पत्ति का विवरण
			सिंचित	असिंचित	कुल	
1	रामसेवक पिता गुरु श्री सीतारामदास त्यागी ग्राम हरियाखेड़ा तहसील पिपलौदा सा. देह भूमिस्वामी	37	—	0.01	0.01	—
2	रामदयाल पिता चेतराम नि. हरियाखेड़ा सा. देह भूमिस्वामी	39/2/2	0.02	—	0.02	—
3	मोहनलाल पिता चिमनलाल नि. हरियाखेड़ा सा. देह भूमिस्वामी	49/2/2	0.06	—	0.06	—
4	बलराम, प्रहलाद पिता पूरनलाल व मोहनबाई बेवा पूरनलाल व रतनलाल कंचनबाई मांगीबाई पिता बगदीराम व कर्हैयालाल शांतिबाई भरीबाई पिता शांतिलाल रामप्रसाद ना.बा. पिता शिवनारायण सरपररत माता संतोषबाई बेवा शिवनारायण नि. हरियाखेड़ा सा. देह भूमिस्वामी	50/2	0/03	—	0/03	—
5	मांगीलाल पिता चम्पालाल कुलम्बी नि. हरियाखेड़ा सा. देह भूमिस्वामी	71	0.06	—	0.06	—
6	अम्बाराम पिता धुरा कुलम्बी नि. हरियाखेड़ा सा. देह भूमिस्वामी	53/2	0.02	—	0.02	—
7	बद्रीलाल पिता नंदा कुलम्बी नि. हरियाखेड़ा सा. देह भूमिस्वामी	58/1	0.16	—	0.016	—
8	रुघनाथ पिता कालू कुलम्बी नि. हरियाखेड़ा सा. देह भूमिस्वामी	59/1	0.06	—	0.06	—
9	भेरुलाल, रमेशचन्द्र पिता धुरालाल कुलम्बी नि. हरियाखेड़ा सा. देह भूमिस्वामी	60/2	0.03	—	0.03	—
10	दिनेश पिता मांगीलाल ब्राह्मण नि. हरियाखेड़ा सा. देह भूमिस्वामी	172/2	0.05	—	0.05	—

11	वासुदेव पिता प्रभुलाल कुलम्बी नि. हरियाखेडा सा. देह भूमिस्वामी	173/2	0.3	-	0.3	-
12	वासुदेव पिता प्रभुलाल कुलम्बी नि. हरियाखेडा सा. देह भूमिस्वामी	169/2/2	0.15	-	0.15	-
13	राधेश्याम, निर्भयराम, नंदिबाई, प्रतापबाई, संगीताबाई पिता अम्बाराम, सूरजबाई, सीताबाई स्व. पति अम्बा राम, मांगीलाल, लक्ष्मीबाई, मगनी राम कुलम्बी नि. हरियाखेडा सा. देह भूमिस्वामी	168/2	0.15	-	0.15	-
14	शंकरलाल पिता चेतराम कुलम्बी नि. हरियाखेडा सा. देह भूमिस्वामी	163/2	0.03	-	0.03	-
15	कन्हैयालाल, राधेश्याम, कमलेश पिता नंदराम कुलम्बी नि. हरियाखेडा सा. देह भूमिस्वामी	162/1/2	0.31	-	0.31	-
16	कन्हैयालाल, राधेश्याम, कमलेश पिता नंदराम कुलम्बी नि. हरियाखेडा सा. देह भूमिस्वामी	164/3	0.38	-	0.38	-
17	पंचाला पति ओमप्रकाश भारतीय नि. हरियाखेडा सा. देह भूमिस्वामी	292/2/2	0.04	-	0.04	-
18	पंचाला पति ओमप्रकाश भारतीय नि. हरियाखेडा सा. देह भूमिस्वामी	292/1/2	0.04 0.04	-	0.04	-
19	ओमप्रकाश पिता कुन्दनमल नि. हरियाखेडा सा. देह भूमिस्वामी	291/1/2	0.05	-	0.05	-
20	भागीरथ पिता पुना कुलम्बी नि. हरियाखेडा सा. देह भूमिस्वामी	291/2/2	0.05	-	0.05	-
21	नर्मदाबाई पति मांगीलाल कुलम्बी नि. हरियाखेडा सा. देह भूमिस्वामी	290/2	0.04	-	0.04	-
22	सुरेश पिता मांगीलाल कुलम्बी नि. हरियाखेडा सा. देह भूमिस्वामी	289/2	0.06	-	0.06	-
23	मुन्नालाल पिता चम्पालाल कुलम्बी नि. हरियाखेडा सा. देह भूमिस्वामी	284/2	0.12	-	0.12	-
24	हेमराज पिता गोपाल कुलम्बी नि. हरियाखेडा सा. देह भूमिस्वामी	283/2	0.04	-	0.04	-
25	रघनाथ पिता कालु कुलम्बी नि. हरियाखेडा सा. देह भूमिस्वामी	174/2	0.03	-	0.03	-
26	राधेश्याम पिता जगन्नाथ कुलम्बी नि. हरियाखेडा सा. देह भूमिस्वामी	161/2	0.12	-	0.12	-
27	रामनारायण पिता नानुराम जाति कुलम्बी नि. हरियाखेडा सा. देह भूमिस्वामी	768/2/2	0.08	-	0.08	-
28	रामनारायण पिता नानुराम जाति कुलम्बी नि. हरियाखेडा सा. देह भूमिस्वामी	760/2/2	0.05	-	0.05	-
29	रघनाथ पिता कालु कुलम्बी नि. हरियाखेडा सा. देह भूमिस्वामी	769	0.13	-	0.13	-
30	अयोध्याबाई पति रामलाल कुलम्बी नि. हरियाखेडा सा. देह भूमिस्वामी	835/1/2	0.05	-	0.05	-

31	सुजलान गुजरात विड प्रा.लिमिटेड सुजलाल श्रीमाल सोसायटी नजदीक श्री कृष्ण काम्पलक्स नवरगपुरा अहमदाबाद व. नं. 766 नि. हरियाखेडा सा. देह भूमिस्वामी	835/2/2	-	0.03	0.03	-
32	वरदीचंद्र पिता देव कुम्हार नि. हरियाखेडा सा. देह भूमिस्वामी	837/2	0.03	-	0.03	-
33	सुजलान गुजरात विड प्रा.लिमिटेड सुजलाल श्रीमाल सोसायटी नजदीक श्री कृष्ण काम्पलक्स नवरगपुरा अहमदाबाद व. नं. 766 नि. हरियाखेडा सा. देह भूमिस्वामी	844/1/2	-	0.055	0.055	-
34	बद्रीलाल पिता नानुराम कुलम्बी नि. हरियाखेडा सा. देह भूमिस्वामी	844/2/2	0.12	-	0.12	-
35	रामचंद्र पिता चुन्नीलाल कुम्हार नि. हरियाखेडा सा. देह भूमिस्वामी	831/2	0.02	-	0.02	-
36	ख्लोचलाल, बद्रीलाल, पन्नालाल, भानीबाई पिता वरदीचंद्र व रामबाई बेवा वरदीचंद्र कुम्हार नि. हरियाखेडा सा. देह भूमिस्वामी	825/2	0.04	-	0.04	-
37	भगवतीलाल पिता चिमनलाल कुलम्बी नि. हरियाखेडा सा. देह भूमिस्वामी	833/1/2	0.05	-	0.05	-
38	कहैयालाल पिता चिमनलाल कुलम्बी नि. हरियाखेडा सा. देह भूमिस्वामी	833/2/2	0.04	-	0.04	-
39	बालाराम पिता हीरालाल कुलम्बी नि. हरियाखेडा सा. देह भूमिस्वामी	833/3/2	0.03	-	0.03	-
40	राधेश्याम, निर्भयराम, नंदिबाई, प्रतापबाई, दुर्गाबाई, सीमाबाई पिता अम्बाराम व सूरजबाई, सीताबाई स्व. पति अम्बाराम, मांगीलाल, लक्ष्मीबाई, मगनीराम कुलम्बी नि. हरियाखेडा सा. देह भूमिस्वामी	17/2	0.03	-	0.03	-
41	बद्रीलाल पिता कन्हैयालाल कुलम्बी नि. हरियाखेडा सा. देह भूमिस्वामी	18/2	0.02	-	0.02	-
42	राकेश पिता उकारलाल कुलम्बी नि. हरियाखेडा सा. देह भूमिस्वामी	24/2	0.02	-	0.02	-
43	अमरशहीद नरेन्द्रसिंह चंद्रावत (कालूखेडा) महेन्द्र गोखरु/ कीर्तिशरणसिंह कालूखेडा जावरा नि. हरियाखेडा सा. देह भूमिस्वामी	25/2	0.02	-	0.02	-
44	पारसदेवी पति नरेन्द्रकुमार जैन नि. हरियाखेडा सा. देह भूमिस्वामी	26/2	0.02	-	0.02	-
45	प्रफलकुमार, अरुणकुमार, अर्चना पिता दिनानाथ व कमलाबाई बेवा दिनानाथ नि. हरियाखेडा सा. देह भूमिस्वामी	9/2	0.06	-	0.06	-

46	अशोककुमार पिता मनोहरलाल पोरवाल नि. हरियाखेडा सा. देह भूमिस्वामी	10/1/2	0.035	-	0.035	-
47	सरोज पिता राजेश राठोर नि. हरियाखेडा सा. देह भूमिस्वामी	10/2/2	0.035	-	0.035	-
48	मजुलादेवी पति अशोककुमार पोरवाल नि. हरियाखेडा सा. देह भूमिस्वामी	13/2	0.015	-	0.015	-
49	मजुलादेवी पति अशोककुमार पोरवाल नि. हरियाखेडा सा. देह भूमिस्वामी	14/1/2	0.06	-	0.06	-
50	रामसेवक पिता गुरु श्री सीताराम दास त्यागी नि. हरियाखेडा सा. देह भूमिस्वामी	15		0.01	0.01	-
51	यशवंतसिंह पिता दुलेसिंह नि. हरियाखेडा सा. देह भूमिस्वामी	1	0.01	-	0.01	-
52	हातिम अली पिता सादिक नि. हरियाखेडा सा. देह भूमिस्वामी	49/2	0.01	-	0.01	-
53	धीरज शर्मा पिता छोटेलाल नि. हरियाखेडा सा. देह भूमिस्वामी	49/2/2	0.01	-	0.01	-
54	विनोदकुमार पिता गोपाल प्रजापति/ रामसेवक पिता छोटेलाल नि. हरियाखेडा सा. देह भूमिस्वामी	39/2/1	0.02	-	0.02	-

१:

क्र. 1869—भू—अर्जन—22

प्र. क्र. 01—अ—82—2022—23


सार्वजनिक सूचना

(अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन की आपसी से भूमि क्रय नीति 2014)

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि “अनुभाग जावरा के बरगढ़ फण्टा (एच एस-31) से भैसाना फण्टा (एच एस-31) मार्ग निर्माण योजना” अंतर्गत जिला रत्तलाम की तहसील पिपलौदा के प.ह.नं. 19 के ग्राम मामटखेड़ा के खाताधारकों की निजी भूमि मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय के आदेश क्रमांक एफ 12-2/2014/ सात/2 ए/भोपाल दिनांक 12/11/2014 के तहत आपसी सहमति से क्रय किया जाना प्रस्तावित है।

अतः निम्नलिखित भूमि में किसी व्यक्ति/संस्था को भूमि स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह अद्योहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में सूचना प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में आधार सहित आपत्ति प्रस्तुत करे। नियत अवधि पश्चात् किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।

क्र.	कृषकगण का नाम व पिता का नाम	खसरा क्रमांक	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)	परिसम्पत्ति का विवरण		
				सिंचित	असिंचित	कुल
1	फकीरचन्द पिता कालु जाति भील पता निवासी ग्राम मामटखेड़ा सा देह भूमिस्वामी	534/1	0.110	—	0.110	—
2	रमेश पिता कालु जाति भील पता निवासी ग्राम मामटखेड़ा सा देह भूमिस्वामी	534/2	0.080	—	0.080	—
3	भागीरथ पिता कालु जाति भील ग्राम मामटखेड़ा सा देह भूमिस्वामी	534/3	0.050	—	0.050	—
4	शांतिबाई पति मांगीलाल जाति कुलम्बी पता निवासी ग्राम मामटखेड़ा सा देह भूमि स्वामी	504/1	0.050	—	0.050	—
5	शांतिबाई पति मांगीलाल जाति कुलम्बी पता निवासी ग्राम मामटखेड़ा सा देह भूमि स्वामी	504/2	0.020	—	0.020	—
6	शांतिबाई पति मांगीलाल जाति कुलम्बी पता निवासी ग्राम मामटखेड़ा सा देह भूमि स्वामी	505	0.020	—	0.020	—
7	शांतिबाई पति मांगीलाल जाति कुलम्बी पता निवासी ग्राम मामटखेड़ा सा देह भूमि स्वामी	505	0.020	—	0.020	—
8	सूरजमल पिता मांगीलाल जाति कामलिया निवासी ग्राम मामटखेड़ा सा देह भूमि स्वामी	533	0.050	—	0.050	—

9	सूरजमल पिता मांगीलाल जाति धनगर ग्राम मामटखेड़ा सा देह भूमि स्वामी		-	0.140	-
10	शंकरलाल पिता शिवलाल जाति यादव (जाटव) ग्राम मामटखेड़ा नि-सा इकबाल गंज जावरा भूमि स्वामी		-	0.130	-
11	रघुनन्दन पिता कन्हैयालाल विष्णुबाई बेवा कन्हैयालाल जाति नाई निवासी ग्राम मामटखेड़ा सा देह भूमि स्वामी	532/1	0.010	-	0.010
12	गेंदालाल, देवीलाल पिता सुखदेव मांगुबाई बेवा सुखदेव जाति नाई निवासी ग्राम मामटखेड़ा सा देह भूमि स्वामी	532/2	0.050	-	0.050
13	भागीरथ पिता भेरुलाल जाति बलाई निवासी मामटखेड़ा	527/2	0.130	-	0.130
14	मोना पति अजित कुमार कोचड्हा जाति जैन निवासी मामटखेड़ा ग्राम जावरा भूमि स्वामी	525/1/2	0.070	-	0.070
15	रचना पति संतोषकुमार कोचड्हा जाति जैन निवासी ग्राम मामटखेड़ा पता निवासी जावरा	525/1/1	0.050	-	0.050
16	रामकन्याबाई पति शंकरलाल जाति यादव (जाटव) निवासी ग्राम मामटखेड़ा पता सा. इकबाल गंज जावरा भूमि स्वामी	520/4/क	0.060	-	0.060
17	बंकटलाल पिता देवीलाल जाति कुलम्बी निवासी ग्राम मामटखेड़ा सा देह भूमि स्वामी	528/1	0.060	-	0.060
18	सत्यनारायण पिता रामलाल जाति तेली निवासी ग्राम मामटखेड़ा भूमि स्वामी	517	0.010	-	0.010
19	सत्यनारायण पिता रामलाल जाति तेली निवासी ग्राम	518/1	0.087	-	0.087

	मामटखेड़ा भूमि स्वामी					
20	सत्यनारायण पिता रामलाल जाति तेली निवासी ग्राम मामटखेड़ा भूमि स्वामी	520/6	0.040	-	0.040	-
21	सत्यनारायण पिता रामलाल जाति तेली निवासी ग्राम मामटखेड़ा ग्राम भूमिस्वामी	296/3	0.050	-	0.050	-
22	नागेश्वर पिता देवीलाल जाति कुलम्बी निवासी ग्राम मामटखेड़ा भूमि स्वामी	410/1	0.040	-	0.040	-
23	नागेश्वर पिता देवीलाल जाति कुलम्बी निवासी ग्राम मामटखेड़ा भूमि स्वामी	410/1	0.090	-	0.090	-
24	बापूलाल पुष्करलाल पिता बद्रीलाल लीलाबाई बेवा बद्रीलाल जाति कुम्ही नि- ग्राम मामटखेड़ा भूमिस्वामी	408	0.030	-	0.030	-
25	बापूलाल पुष्करलाल पिता बद्रीलाल लीलाबाई बेवा बद्रीलाल जाति कुम्ही निवासी ग्राम मामटखेड़ा भूमि स्वामी	410/3/ख	0.003	-	0.003	-
26	बापूलाल पुष्करलाल पिता बद्रीलाल लीलाबाई बेवा बद्रीलाल जाति कुम्ही निवासी ग्राम मामटखेड़ा भूमि स्वामी	410/2/ख	0.004	-	0.004	-
27	सोहनबाई बेवा पन्नालाल भरत संतोष सूरज वंदना पिता पन्ना लाल निवासी ग्राम मामटखेड़ा भूमिस्वामी	410/3/क	0.030	-	0.030	-
28	सोहनबाई बेवा पन्नालाल भरत संतोष सूरज वंदना पिता पन्ना लाल निवासी ग्राम मामटखेड़ा भूमिस्वामी	410/2/क	0.100	-	0.100	-
29	सोहनबाई बेवा पन्नालाल भरत संतोष सूरज वंदना पिता पन्ना लाल निवासी ग्राम मामटखेड़ा	407	0.020	-	0.020	-

	भूमि स्वामी					
30	मदन पिता देवराम लीलाबाई बेवा देवराम जाति कुलम्बी निवासी ग्राम मामटखेड़ा देह भूमि स्वामी	411	0.020	-	0.020	-
31	मोहनमदन पिता देवराम लीला बाई बेवा देवराम जाति कुलम्बी निवासी ग्राम मामटखेड़ा भूमि स्वामी	401	0.150	-	0.150	-
32	राधेश्याम लीलाबाई पिता पन्ना लाल जाति कुलम्बी निवासी ग्राम मामटखेड़ा भूमि स्वामी	406/2	0.050	-	0.050	-
33	राधेश्याम लीलाबाई पिता पन्ना लाल जाति कुलम्बी नि- ग्राम मामटखेड़ा देह भूमि स्वामी	405/2	0.040	-	0.040	-
34	राधेश्याम लीलाबाई पिता पन्ना लाल जाति कुलम्बी निवासी ग्राम मामटखेड़ा भूमि स्वामी	403	0.030	-	0.030	-
35	सतीश कृतिक ममता कविता पिता राधेश्याम व लीलाबाई बेवा राधेश्याम जाति कुलम्बी निवासी ग्राम मामटखेड़ा भूमि स्वामी	412	0.090	-	0.090	-
36	सतीश कृतिक ममता कविता पिता राधेश्याम व लीलाबाई बेवा राधेश्याम जाति कुलम्बी निवासी ग्राम मामटखेड़ा भूमि स्वामी	402/2	0.130	-	0.130	-
37	मेवालाल गणेशराम पिता भेरुलाल व नागुबाई बेवा भेरुलाल जाति कुलम्बी निवासी ग्राम मामटखेड़ा भूमि स्वामी	626	0.020	-	0.020	-
38	देवीलाल पिता वरदीचन्द जाति कुलम्बी निवासी ग्राम मामटखेड़ा भूमि स्वामी	379/2	0.170	-	0.170	-
39	देवीलाल पिता वरदीचन्द जाति	379/3	0.030	-	0.030	-

	कुलम्बी निवासी ग्राम मामटखेड़ा भूमि स्वामी					
40	राम दयाल पिता वरदीचन्द जाति कुलम्बी निवासी ग्राम मामटखेड़ा भूमि स्वामी	379/1	0.020	-	0.020	-
41	सीताबाई पति बद्रीलाल जाति धोबी निवासी ग्राम मामटखेड़ा भूमि स्वामी	297/2	0.100	-	0.100	-
42	सीताबाई पति बद्रीलाल जाति धोबी निवासी ग्राम मामटखेड़ा भूमि स्वामी	276/1	0.060	-	0.060	-
43	रामनारायण जगदीशलाल पिता कारू कंकूबाई बेवा कारू जाति कायस्त निवासी ग्राम मामटखेड़ा भूमि स्वामी	297/3	0.100	-	0.100	-
44	रामनारायण जगदीशलाल पिता कारू कंकूबाई बेवा कारू जाति कायस्त निवासी ग्राम मामटखेड़ा भूमि स्वामी	276/2	0.060	-	0.060	-
45	रामचरणदास घनश्यामदास बनवारीदास मोहनबाई श्यामा बाई राजुबाई गायरीबाई पि- भूवानदास व कंचनबाई सुंदर बाई पिता गोपालदास संगीता ललीता पिता भेरुदास व कांता बाई बेवा भेरुदास हि.1/2 रामदास कृष्णदास पिता नाथूदास मांगीबाई बेवा मनोहर दास भगवानदास राजूदास चन्दा दुर्गा पिता मनोहरदास सुमित्रबाई बेवा विष्णुदास सत्यनारायणदास संजयदास सुभाषदास मधुकुवर पि- विष्णुदास मांगूबाई पति चरणदास जाति बैरागी निवासी ग्राम मामटखेड़ा भूमि स्वामी	296/1	0.030	-	0.030	-

46	रामचरणदास घनश्यामदास बनवारीदास मोहनबाई श्यामाबाई राजुबाई गायरीबाई पि-भूवानदास व कंचनबाई सुंदरबाई पिता गोपाल दास संगीता ललीता पिता भेरुदास व कांताबाई बेवा भेरुदास हि. 1/2 रामदास कृष्णदास पि नाथूदास मांगीबाई बेवा मनोहरदास भगवानदास राजूदास चन्द्रादुर्गा पिता मनोहरदास सुमित्राबाई बेवा विष्णुदास सत्यनारायणदास संजयदास सुभाषदास मधुकुवर पिता विष्णुदास मांगूबाई पति चरणदास जाति बैरागी निवासी ग्राम मामटखेड़ा भूमि स्वामी	290	0.030	-	0.030	-
46	रामचरणदास घनश्यामदास बनवारी दास मोहनबाई श्यामा बाई राजुबाई गायरीबाई पिता भगवानदास व कंचनबाई सुंदर बेवा पिता गोपालदास संगीता ललीता पिता भेरुदास व कांताबाई बेवा भेरुदास हि. 1/2 रामदास कृष्णदास पिता नाथूदास मांगीबाई बेवा मनोहरदास भगवानदास राजूदास चन्द्रा दुर्गा पिता मनोहरदास सुमित्राबाई बेवा विष्णुदास सत्यनारायणदास संजयदास सुभाषदास मधुकुवर पिता विष्णुदास मांगूबाई पति चरणदास जाति बैरागी निवासी ग्राम मामटखेड़ा भूमि स्वामी	294	-	0.481	0.481	-
48	जाकिर मोहम्मद पिता नियाज मोहम्मद जाति मेवाती ग्राम	296/2	0.080	-	0.080	-
	मामटखेड़ा नि- इस्माईलपुरा जावरा भूमि स्वामी					
49	शकील पिता सुल्तानउद्दीन पठान जाति मुसलमान ग्राम मामटखेड़ा नि- मुगलपुरा जावरा	293/2	0.060	-	0.060	-
50	शकील पिता सुल्तानउद्दीन पठान जाति मुसलमान ग्राम मामटखेड़ा निवासी मुगलपुरा जावरा	291	0.020	-	0.020	-
51	मेवालाल पिता दौलतराम जाति पाटीदार ग्राम मामटखेड़ा भूमि स्वामी	289	0.030	-	0.030	-

क्र. 1871—भू—अर्जन—22

प्र. क्र. 01—अ—82—2022—23

सार्वजनिक सूचना

(अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन की आपसी से भूमि क्रय नीति 2014)

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि “अनुभाग जावरा के बरगढ़ फण्टा (एच एस—31) से भैसाना फण्टा (एच एस—31) मार्ग निर्माण योजना” अंतर्गत जिला रत्नाम की तहसील पिपलौदा के प.ह.नं. 20 के ग्राम आक्यादेह के खाताधारकों की निजी भूमि मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय के आदेश क्रमांक एफ 12—2/2014/ सात/2 ए/भोपाल दिनांक 12/11/2014 के तहत आपसी सहमति से क्रय किया जाना प्रस्तावित है।

अतः निम्नलिखित भूमि में किसी व्यक्ति/संस्था को भूमि स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह अद्योहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में सूचना प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में आधार सहित आपत्ति प्रस्तुत करे। नियत अवधि पश्चात किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।

क्र.	कृषकगण का नाम व पिता का नाम	खसरा क्रमांक	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)			परिस्पर्ति का विवरण
			सिंचित	असिंचित	कुल	
1	धापूबाई पिता नानु जाति सुथार सा. देह भूमिस्वामि	535	0.025	—	0.025	—
2	वरदीचन्द्र, गोपाल, कन्हैयालाल, मानुबाई, मंगलाबाई पिता अमीरचंद्र व सीताबाई बेवा अमीरचंद्र, रतन पिता उदा, समंद व रामकन्या हिं 1/2 नानुराम पिता लक्ष्मण जाति गायरी सा. देह भूमि स्वामि	534	0.030	—	0.030	—
3	सुरेशचन्द्र पिता मांगीलाल व अकुश पिता सुरेशचन्द्र मेहता जाति जैन सा. 36 गांधी कॉलोनी जावरा भूमिस्वामि	532/1	0.040	—	0.040	—
4	मोहम्मद रफिक मोहम्मद युसूफ, मोहम्मद सलीम व मोहम्मद इकबाल पिता काले खाँ, मोहम्मद रेहान ना. बा. स. प. माता शबनम बी व शबनम बी बेवा मोहम्मद जावेद सा. देह भूमिस्वामि	532/2	0.025		0.025	—
5	नन्दा, मोहन, रतन पिता पूना जानीबाई, सुहागबाई पिता पूना जाति भील सा. देह भूमिस्वामि	531	0.030	—	0.030	—
6	आसिफ पिता नाहरु, मुस्कान, सोनू, इशाना, सुहाना ना. बा. पिता नाहरु स. प. माता रजिया बी व रजिया बी बेवा नाहरु जाति मुसलमान सा. शामपुरा भूमिस्वामि	525	0.033	—	0.033	—
7	रजिया बी पति नाहर खाँ सा. देह भूमिस्वामि	530	0.160	—	0.160	—

8	अमरू पिता गोबा व कस्तुरीबाई बेवा गोबा जाति सा. देह भूमिस्वामि	529	0.070	-	0.070	-
9	आमना बी पति अकरम खां जाति मुसलमान सा. देह भूमिस्वामि	528	0.100	-	0.100	-
10	भेरुलाल पिता फूलचंद, पूरन ना. बा. पिता फूलचंद स.प. पिता फूलचंद पिता नंदाजी जाति माली सा. मालीपुरा जावरा भूमिस्वामि	392	0.090	-	0.090	-
11	कन्हैयालाल पिता अमीरचंद्र जाति गायरी सा. देह भूमिस्वामि	276/3	0.016	-	0.016	-
12	कारु, चमेली, गुडिया पिता मिश्री लाल मोहनबाई बेवा मिश्रालाल जाति नाई सा. देह भूमिस्वामि	303/7	0.010	-	0.010	-
13	लालसिंह बा., मोहनकुंवर, वजेसिंह मोहनसिंह ना. बा. पिता नागुसिंह ना. बा. स.प. भाई लालसिंह व लाखन सिंह, राजुबाई, पायल पिता चन्द्र सिंह व विमलकुंवर बेवा चन्द्रसिंह राजपूत सा. देह भूमिस्वामि	304	0.205	-	0.205	-

क्र. 1873—भू—अर्जन—22

प्र. क्र. 01—अ—82—2022—23

सार्वजनिक सूचना

(अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन की आपसी से भूमि क्रय नीति 2014)

एतद द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि "अनुभाग जावरा के बरगढ़ फण्टा (एच एस-31) से भैसाना फण्टा (एच एस-31) मार्ग निर्माण योजना" अंतर्गत जिला रत्लाम की तहसील पिपलौदा के प.ह.नं. ५५ के ग्राम बरगढ़ के खाताधारकों की निजी भूमि मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय के आदेश कमांक एफ 12-2/2014 / सात/2 ए/भोपाल दिनांक 12/11/2014 के तहत आपसी सहमति से क्रय किया जाना प्रस्तावित है।

अतः निम्नलिखित भूमि में किसी व्यक्ति/संस्था को भूमि स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह अद्योहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में सूचना प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में आधार सहित आपत्ति प्रस्तुत करे। नियत अवधि पश्चात किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।

क्र.	कृषकगण का नाम व पिता का नाम	खसरा कमांक	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)			परिसम्पत्ति का विवरण
			सिंचित	असिंचित	कुल	
1	दयाराम पिता उम्मैदराम	745/2/2	0.03	-	0.03	-
2	ममता पति समरथ व उमाबाई	746/2	0.04	-	0.04	-
3	मांगीलाल रामेश्वार पिता भेरुलाल	753/2	0.02	-	0.02	-
4	धन्ना पिता केशुराम वगैराह	867/2	-	0.02	0.02	-
5	धन्ना पिता केशुराम वगैराह	730	-	0.75	0.75	-
6	धन्ना पिता केशुराम वगैराह	852/2	-	1.35	1.35	-

क्र. 1875—भू—अर्जन—22

प्र. क्र. 01—अ—82—2022—23

सार्वजनिक सूचना

(अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन की आपसी से भूमि क्रय नीति 2014)

एतद द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि “अनुभाग जावरा के बरगढ़ फण्टा (एच एस-31) से भैसाना फण्टा (एच एस-31) मार्ग निर्माण योजना” अंतर्गत जिला रत्नाम की तहसील पिपलौदा के प.ह.न. 47 के ग्राम ~~खासगाह~~ के खाताधारकों की निजी भूमि मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय के आदेश क्रमांक एफ 12/2/2014 / सात/2 ए/भोपाल दिनांक 12/11/2014 के तहत आपसी सहमति से क्रय किया जाना प्रस्तावित है।

अतः निम्नलिखित भूमि में किसी व्यक्ति/संस्था को भूमि स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह अद्योहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में सूचना प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में आधार सहित आपत्ति प्रस्तुत करे। नियत अवधि पश्चात किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।

क्र.	कृषकगण का नाम व पिता का नाम	खसरा क्रमांक	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)			परिसम्पत्ति का विवरण
			संचित	असंचित	कुल	
1	भरत पिता नाथुराम	286/1/2	0.17	—	0.17	—
2	कन्हैयालाल राधेश्याम कमलेश पिता नन्दराम व राजुबाई बेवा नन्दराम	288/2	0.11	—	0.11	—
3	आमनाबी स्व. पति मुन्ना खां शहजाद खां आजाद खां हसिना बी शमीम बी पिता मुन्ना खां	280/2	0.17	—	0.17	—
4	आमनाबी स्व. पति मुन्ना खां शहजाद खां आजाद खां हसिना बी शमीम बी पिता मुन्ना खां	280/3	0.05	—	0.05	—
5	इब्राहीम मोहम्मद रफीक जफर पिता मोज्जमखां	270/2	0.175		0.175	—
6	इब्राहीम मोहम्मद रफीक जफर पिता मोज्जमखां	270/3	0.2		0.2	—
7	इब्राहीम मोहम्मद रफीक जफर पिता मोज्जमखां	271	0.06		0.06	कुआ
8	इब्राहीम मोहम्मद रफीक जफर पिता मोज्जमखां	269/2	0.02		0.02	—
9	अफसानाबी पति इब्राहीम खां	268/2	0.025		0.025	—
10	आमनाबी स्व. पति अकरम खां व अनवार खां अलताफ राबिया बी पिता अकरम खां	272/2	0.25		0.25	—
11	सलीमखां पिता गुलमोहम्मद	254/2	0.09		0.09	—
12	रशीदखां भुरुखां इमरान खां पिता शरीफ खां व हसिनाबी बेवा शरीफ खां	252/2	0.02		0.02	—
13	रशीदखां भुरुखां इमरान खां पिता	253/1/2	0.02		0.02	—

	शरीफ खां व हसिनाबी बेवा शरीफ खां				
14	रशीदखां भुरुखां इमरान खां पिता शरीफ खां व हसिनाबी बेवा शरीफ खां	249/2	0.11	0.11	-
15	आरिफखां सरदारखां बाबुखां पिता चांदखां गफुरखां शब्दीरखां सिद्धकखां शहनाज फेरोज रहमत सईदा पिता छोटेखां साहराबखां शोयबखां सलमा पिता रुस्तमखां शकुरबी पति रुस्तम	248/1/2	0.06	0.06	-
16	आमनाबी पति अकरम खां	248/2/2	0.05	0.05	-
17	गुलामनबीं शाह शब्दीबी साइनबी आमनाबी सरदारशाह सत्तारशाह गफकारशाह गफुरशाह गफुरशाह पिता शकुरशाह शाबराबी	246/2	0.15	0.15	-
18	वरदीबाई पति लच्छीराम 1/3 राजाराम चैनीराम मगनीराम भंवरलाल शांती लाल अनोखीलाल रामकन्या सम्पत जेलकर्मी पिता लच्छीराम 1/3 शकुर नाग यां छुड़ कैलाशीबाई पिता रुपा 1/3	245/2	0.07	0.07	-
19	साक्षी खां पिता इस्माइल खां	244/2	0.03	0.03	-
20	अमर्ल पिता गोबा कस्तुरीबाई बेवा गोबा	177/2	0.05	0.05	-
21	अमर्ल पिता गोबा कस्तुरीबाई बेवा गोबा	176/2	0.03	0.03	-
22	कांताबाई पति फुलचन्द	289/2	0.02	0.02	-
23	वरदीबाई पति लच्छीराम 1/3 राजाराम वगैरा ब.नं. 245	166/2	0.015	0.015	-
24	वरदीबाई पति लच्छीराम 1/3 राजाराम वगैरा ब.नं. 245	172/2	0.01	0.01	-
25	वरदीबाई पति लच्छीराम 1/3 राजाराम वगैरा ब.नं. 245	167/2	0.065	0.065	-
26	भेरुसिंह पिता चन्दरसिंह	102/2	0.27	0.27	-
27	सरला परफार्मेंस फेबर्स लिमिटेड जावरा श्री सदानन्दना कृपानायक	57/2	0.16	0.16	-
28	जुझारसिंह पिता भेरुसिंह	11/3/2	0.01	0.01	-
29	राधेश्याम पिता कचरुलाल	12/2	0.08	0.08	-
30	राधेश्याम पिता कचरुलाल	20/2	0.08	0.08	-
31	जेबुनबी भुरीबी रहमतबी बेवा याकुबशाह जाफर पिता याकुबशाह	21/2	0.1	0.1	-
32	शाहिनबी पति सलीमखां	22/2	0.21	0.21	-
33	शहजादखां पिता मुन्नाखां	35	0.12	0.12	-
34	आजादखां पिता मुन्नाखां	38/2	0.11	0.11	-

क्र. 1877—भू—अर्जन—22

प्र. क्र. 01—अ—82—2022—23

सार्वजनिक सूचना

(अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन की आपसी से भूमि क्रय नीति 2014)

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि “अनुभाग जावरा के बरगढ़ फण्टा (एच एस-31) से भैसाना फण्टा (एच एस-31) मार्ग निर्माण योजना” अंतर्गत जिला रत्तलाम की तहसील जावरा के प.ह.नं. 20 के ग्राम बागाखेड़ा के खाताधारकों की निजी भूमि मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय के आदेश कमांक एफ 12-2/2014/ सात/2 ए/भोपाल दिनांक 12/11/2014 के तहत आपसी सहमति से क्रय किया जाना प्रस्तावित है।

अतः निम्नलिखित भूमि में किसी व्यक्ति/संस्था को भूमि स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह अद्योहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में सूचना प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में आधार सहित आपत्ति प्रस्तुत करे। नियत अवधि पश्चात किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।

क्र.	कृषकगण का नाम व पिता का नाम	खसरा कमांक	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)			परिसम्पत्ति का विवरण
			सिंचित	असिंचित	कुल	
1	सुरेन्द्र कुमार पिता बाबुलाल जी जैन	9/3	0.01		0.01	—
2	हर्ष बा. जय ना.बा.पिता धर्मेंद्र कोलन ना.बा. सर पिता धर्मेंद्र पिता बाबुलाल कोलन जैन	9/2	0.08		0.08	—
3	सुनिता पित राकेश कोचट्टा जैन	11/2/2	0.06		0.06	—

क्र. 1879—भू—अर्जन—22

प्र. क्र. 01—अ—82—2022—23

सार्वजनिक सूचना

(अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन की आपसी से भूमि क्रय नीति 2014)

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि “अनुभाग जावरा के बरगढ़ फण्टा (एच एस-31) से भैसाना फण्टा (एच एस-31) मार्ग निर्माण योजना” अंतर्गत जिला रत्तलाम की तहसील जावरा के प.ह.नं. 22 के ग्राम ईस्माईलपुरा के खाताधारकों की निजी भूमि मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय के आदेश कमांक एफ 12-2/2014/ सात/2 ए/भोपाल दिनांक 12/11/2014 के तहत आपसी सहमति से क्रय किया जाना प्रस्तावित है।

अतः निम्नलिखित भूमि में किसी व्यक्ति/संस्था को भूमि स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह अद्योहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में सूचना प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में आधार सहित आपत्ति प्रस्तुत करे। नियत अवधि पश्चात किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।

क्र.	कृषकगण का नाम व पिता का नाम	खसरा कमांक	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)			परिसम्पत्ति का विवरण
			सिंचित	असिंचित	कुल	
1	जाकिर खाँ पिता न्याज मोहम्मद खाँ	15/2	0.150		0.150	—
2	शाहिद खाँ पिता सिद्धिक खाँ	15/1	0.100		0.100	—
3	साजद खाँ पिता सिद्धिक खाँ, जाति मेवाती सा. देह भूमि	13/1	0.040		0.040	—
4	शब्बीर खाँ पिता सिद्धिक खाँ	13/2/14	0.06		0.06	—
5	लियाकत खाँ पिता बशिर खाँ	9	0.120		0.120	कच्चा कुआ
6	सादिक खाँ पिता सिद्धिक खाँ	8	0.070		0.070	—

क्र. 1881-भू-अर्जन-22

प्र. क्र. 01-अ-82-2022-23

सार्वजनिक सूचना

(अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन की आपसी से भूमि क्रय नीति 2014)

एतद द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि "अनुभाग जावरा के बरगढ़ फण्टा (एच एस-31) से भैसाना कफण्टा (एच एस-31) मार्ग निर्माण योजना" अंतर्गत जिला रत्नाम की तहसील जावरा के प.ह.नं. 22 के ग्राम भैसाना के खाताधारकों की निजी भूमि मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय के आदेश क्रमांक एफ 12-2/2014/सत्त/2 ए/भोपाल दिनांक 12/11/2014 के तहत आपसी सहमति से क्रय किया जाना प्रस्तावित है।

अतः निम्नलिखित भूमि में किसी व्यक्ति/संस्था को भूमि स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह अद्योहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में सूचना प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में आधार सहित आपत्ति प्रस्तुत करें। नियत अवधि पश्चात् किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।

क्र.	कृषकगण का नाम व पिता का नाम	खसरा क्रमांक	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)			परिसम्पत्ति का विवरण
			सिंचित	असिंचित	कुल	
1	दिनेश, कन्हैयालाल पिता शान्ती लाल जाति कुम्ही सा. देह भूमिस्वामी	394	0.120		0.120	-
2	समरथलाल पिता देवराम	396/1 396/2	0.060		0.060	-
3	मैंगला देवी पति लक्ष्मीनारायण	365	0.050		0.050	-
4	बाबुलाल, परमानन्द, सूगनबाई, चंदाबाई, रेखाबाई, श्यामबाई पिता रामचन्द्र व सम्पतबाई स्व. पति रामचन्द्र, दिनेश कन्हैयालाल पिता शांतिलाल सा. देह भूमिस्वामी	368	0.120		0.120	-
5	हरिराम पिता हिरालाल कुलबी सा. देह भूमि स्वामी	369	0.070		0.070	-
6	उमराव सिंह पिता तखतसिंह जाति राजपुत सा. देह भूमि स्वामी	355	0.230		0.230	-
7	कृष्णपाल सिंह पिता सरदार सिंह जाति राजपुत सा. देह भूमि स्वामी	354	0.070		0.070	-
8	रामसिंह पिता बहादुर सिंह राजपुत सा. देह भूमि स्वामी	353	0.070		0.070	-
9	देवी बाई बेवा गंगाराम, बाबुलाल, धनश्याम, शंकरलाल, भगतराम पिता गंगाराम जाति भील सा. देह भूमि स्वामी	351	0.170		0.170	-
10	दिनेश, शंकरलाल, रामकुंवर, सीमा पिता कन्हैयालाल लक्ष्मीबाई बेवा कन्हैयालाल व सरजु बाई पिता ऊगनाथ सा. देह भूमि स्वामी	350/1/7	0.030		0.030	-
11	मांगीलाल, चंदा, कविता पिता रामचन्द्र, रेशमबाई बेवा रामचन्द्र सा. देह भूमि स्वामी	350/1/13	0.030	-	0.030	-
12	रामी बाई (उर्फ कमला बाई) श्यामा बाई पिता शोभाराम सा. देह भूमिस्वामी	350/1/3	0.020	-	0.020	-
13	भरत, श्रवण, पुजा, रानी पिता	350/1/14	0.030	-	0.030	-

	अनंत राम, सुंदर बाई बेवा अनंत राम सा.देह भूमि स्वामी					
14	दिनेश, शंकरलाल, रामकुंवर, सीमा पिता कन्हैयालाल लक्ष्मीबाई बेवा कन्हैयालाल व सरजु बाई पिता ऊगनाथ सा.देह भूमि स्वामी	350/1/15	0.020	—	0.020	—
15	लाड कुवर पति रत्नसिंह	307	0.170	—	0170	—
16	रामसिंह पिता बहादुरसिंह	308/4	0.040	—	0.040	—
17	श्रीपालसिंह रघुवीरसिंह कण्णाकुवर बेबीकुवर बसंलकुवर पिता अनारसिंह रसालकुवर बेवा अनारसिंह	308/5	0.060	—	0.060	—
18	बापुसिंह पिता वहादुरसिंह	308/6	0.050	—	0.050	—
19	जुझारसिंह प्रेमसिंह पिता दुलेसिंह	251/1	0.020	—	0.020	—
20	भंवरसिंह लालकुवर पिता दुलेसिंह	251/2	0.010	—	0.010	—
21	ईश्वरलाल पिता गणेशराम वरदीचन्द पिता रामचन्द	251/3	0.010	—	0.010	—
22	फिरोज खां पिता नजीर खां	306	0.270	—	0.270	—
23	बाबुलाल परमानन्द सुगनबाई कन्हैयालाल रेखाबाई श्यामा बा. पिता चन्द्रचन्द्र व सम्पतबाई स्व पति सच्चन्द्र दिनेश कन्हैयालाल पिता शास्त्रज्ञाल सा.देह भूमि स्वामी	206	0.050		0.050	—
24	लक्ष्मीरायण पिता बद्रीलाल	257/1	0.020	—	0.020	—
25	धनश्याम पिता बद्रीलाल	257/2	0.020	—	0.020	—
26	भगतराम पिता रामसुख कुलंबी सा.देह भूमि स्वामी	256	0.040	—	0.040	—
27	रुगनाथ ओमप्रकाश भवरलाल जाति कुलंबी सा.देह भूमि स्वामी	197	0.050	—	0.050	—
28	भगतराम पिता रामसुख कुलंबी सा.देह भूमि स्वामी	252	0.040	—	0.040	—
29	शोभाराम पिता नानुराम जाति कुलंबी सा.देह स्वामी	555	0.030	—	0.030	30 आम के पौधे
30	सरेकुवर बेवा रामसिंह जाति राजपुत सा.देह भूमि स्वामी	554	0.020	—	0.020	—
31	सरेकुवर बेवा रामसिंह जाति राजपुत सा.देह भूमि स्वामी	532	0.020		0.020	—
32	बालमुकन्द धनश्याम चन्द्रकला पिता भेरुलाल कन्हैयाल बेबा भेरुलाल अंकित चेतन ना.बा, जगदीश सर दादी ककु बाई बेबा भेरुलाल	560	0.030	—	0.030	—
33	हरिराम पिता भेरुलाल सुतार सा.देह भूमि स्वामी	561	0.020	—	0.020	—
34	गुलाबकुवर पति भंवरसिंह सा.देह भूमि स्वामी	218/1	0.030	—	0.030	—
35	अम्बाराम पिता बालमुकन्द दशरथ	218/2	0.070		0.070	—

	पिता रामसुख सा.देह भूमि स्वामी			—	—	—
36	लक्ष्मीनारायण पिता भंवरलाल सा.देह	218/3	0.020	—	0.020	—
37	गीताबाई पति मांगीलाल गेदालाल भूली लीला सोहन पिता नन्दराम व मांगुबाई बेवा नन्दराम जाति भील सा.देह भूमि स्वामी	217	0.140	—	0.140	—
38	रामकन्याबाई पि दौलतराम व दौलतराम पिता देवा अहस्तान्तरणीय	305/3	0.160	—	0.160	—
39	समन्दबाई पति उकारलाल व उकारलाल पिता धुरा अहस्तान्तरणीय	305/2	0.210	—	0.210	—
40	भंवरलाल रामलाल लीलाबाई भूलीबाई पेपाबाई पिता बगदीराम सा.देह भूमि स्वामी	274	0.110	—	0.110	—

नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सागर, दिनांक 14 जुलाई, 2022

क्र. 103 अ-82-20-21-भू-अर्जन-21-5260

मौजा इटावा, पट.ह.न.-51, तहसील बीना

(देखिये धारा 19 एवं 21)

:: अधिसूचना ::

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्वरथापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11(1) के तहत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन उपरान्त धारा 15 के तहत प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में प्राप्त आपत्तियों की धारा 15 में यथाउपवंधित सम्यक जांच करने के पश्चात समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। प्रस्तावित भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटुंब का पुनर्वासन और पुनर्वरथापन किया जाना भी अपेक्षित नहीं है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्वरथापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के तहत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थवर परिसम्पत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित हैं।

(1) परियोजना का नाम : मालखेड़ी से महादेवखेड़ी नई बड़ी लाईन परियोजनांतर्गत

(2) भूमि का विवरण :

1. जिला : सागर
2. तहसील : बीना
3. ग्राम : इटावा
4. पट.ह.न.- : 51
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 2.809 हेक्टेर.

:: अनुसूची ::

सं. क्र.	भूमि स्वामी का नाम / पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नंबर	कूल रकमा (हेक्टेर. में)	अर्जित भूमि (रकमा हेक्टेर.में)			भूमि पर दिल्ली अधिसूचना
					सिंचित	असिंचित	पड़ता	
1	रजनीश पिता मुन्नालाल जाति काढी	भूमि स्वामी	127/5	0.7480	0.0230	0.00	0.00	निरंक
2	कुन्दनलाल पिता चारेलाल पता बीना सागर	भूमि स्वामी	130/3	2.7760	0.4750	0.00	0.00	निरंक
3	मुह अकरम पिता मुह हनीफ पता सा देह देह बीना	भूमि स्वामी	131/1/1	1.5180	0.1520	0.00	0.00	निरंक
4	आजाद मुहम्मद पिता बली मुहम्मद	भूमि स्वामी	132/3/1	5.6260	0.1220	0.00	0.00	निरंक
5	राशिद शाहिद पिता रहीस आसिमा खुश्कु जरीनाखान फरीदायेगम पिता रहीस फातिमा देवा रहीस पता सा देह बीना सागर म.प्र.	भूमि स्वामी	132/3/2	0.8490	0.0400	0.00	0.00	निरंक
6	मुह. युसुफ मुह. आरिफ मुह. कलीम पिता सलीम पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	144/1/1	0.5040	0.1760	0.00	0.00	निरंक

7	मुह यूसुफ पुत्र मुह सलीम पता बीना सागर	भूमि स्वामी	147/1/1	1.1950	0.0470	0.00	0.00	निरंक
8	मुह आरिफ पुत्र मुह सलीम पता बीना सागर	भूमि स्वामी	147/1/2	1.1960	0.0670	0.00	0.00	निरंक
9	मुह कलीम पुत्र मुह सलीम पता बीना सागर	भूमि स्वामी	147/1/3	1.1960	0.0670	0.00	0.00	निरंक
10	मुहम्मद आरिफ पिता मुह सलीम पता सा. देह बीना	भूमि स्वामी	147/4	2.0230	0.0810	0.00	0.00	निरंक
11	मुहम्मद कलीम पिता मुह. सलीम पता सा. देह बीना सागर	भूमि स्वामी	147/5	2.0230	0.0720	0.00	0.00	निरंक
12	मुह जाहिद पिता युनिस पता सा. देह बीना	भूमि स्वामी	147/6	1.8900	0.2170	0.00	0.00	निरंक
13	राकेशकुमार पिता राजकुमार जाति सिंघई पता कटरा वार्ड बीना सागर	भूमि स्वामी	435/4	8.0940	0.0780	0.00	0.00	निरंक
14	चन्द्रायाई पुत्री धन्यकुमार पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	435/5/3	1.6200	0.1830	0.00	0.00	निरंक
15	रश्मि पिता राजकुमार पता सा. देह बीना सागर	भूमि स्वामी	436/2	8.5000	0.1890	0.00	0.00	निरंक
16	वल्देव पिता तुलसी हरिओम प्रकाश नंदकिशोर पिता वल्देव भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	437/2	1.2830	0.1380	0.00	0.00	निरंक
17	हरिओमप्रकाश नंदकिशोर पिता वल्देवसिंह जाति यादव	भूमि स्वामी	437/5	0.1010	0.0630	0.00	0.00	निरंक
18	नंदकिशोर पिता वल्देव प्रसाद यादव पता सा. सुभाष वार्ड बीना	भूमि स्वामी	438/1 438/10	0.5000	0.1740	0.00	0.00	निरंक
19	विनोदकुमार पिस. महेशचन्द राय पता सा. वीर सावरकर वार्ड बीना भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	438/11	0.4990	0.1740	0.00	0.00	01 नलयूप
20	कुपरखाई बेवा दुरगसिंह जाति राजपूत पता खिरिया वार्ड बीना हिस्सा 1/3 भूमि स्वामी, यादलसिंह पिता दुरगसिंह जाति राजपूत पता खिरिया वार्ड बीना हिस्सा 1/3 भूमि स्वामी, रूपसिंह पिता दुरगसिंह जाति राजपूत पता खिरिया वार्ड बीना हिस्सा 1/3 भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	448/1	2.2750	0.1960	0.00	0.00	निरंक
21	बुजकुवर पल्लि देवोसिंह ठाकुर पता निवासी खिरिया वार्ड बीना भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	449/1/1 450/1/1	0.3800	0.0750	0.00	0.00	निरंक
योग			21	44.7960	2.8090	0.00	0.00	01 नलयूप

प्रस्तावित भूमि के अर्जन के कारण किसी भी परिवार/कुटुंब का पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नहीं किया जा रहा है जिससे पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति का प्रकाशन किया जाना अपेक्षित नहीं है।

4— अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितवद्व व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि/स्थावर परिसंपत्तियों का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि/स्थावर परिसंपत्तियों में सभी हितों के लिए प्रतिकारों और पुनर्वास तथा प्रतिरक्षण के दावे न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बीना जिला सागर के कार्यालय में दिनांक २५/७/२०२२ को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपरिथत होकर भूमि, परसम्पत्तियों में अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टिया धारा 20 के अधीन किये गये मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हो, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।

5— भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बीना जिला सागर तथा मुख्य परियोजना अभियंता—।। रेल विकास निगम लिमिटेड, कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दीपक आर्य, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला इंदौर एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र. 229—अ.वि.स.—भू-अर्जन—22—प्र.क्र.—01—अ—82—2021—22

इंदौर, दिनांक 18 जुलाई 2022

[अंतर्गत धारा — 19 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन
में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013)]

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची पद (1) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

:: अनुसूची ::

1— भूमि का वर्णन :—

(क)	ग्राम	—	कैलोदहाला
(ख)	तहसील	—	जूनीइंदौर
(ग)	जिला	—	इंदौर
(घ)	लगभग क्षेत्रफल	—	0.289 हेक्टर

खसरा क्रमांक	अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल	खसरा क्रमांक	अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल
242 / 4	0.021	242 / 1 पैकी	0.057
238 / 4 / 5	0.006	250 / 1 / 1	0.028
250 / 1 / 2	0.028	250 / 1 / 46	0.028
250 / 1 / 3	0.028	250 / 1 / 4	0.027
250 / 1 पैकी	0.027	250 / 1 / 31	0.027
270 / 1	0.012	योग	0.289 हेक्टर

2— सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है:—
“इंदौर—देवास—उज्जैन रेल्वे दोहरीकरण प्रयोजन हेतु”।

3— भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, अनुभाग जूनीइंदौर, जिला इंदौर तथा उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण), पश्चिम रेल्वे, इंदौर के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन दिवस एवं समय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनीष सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसील कुक्षी, जिला धार, मध्यप्रदेश
पत्र क्र. 2011—री—१—२०२२—रा.प्र.क्र.—००३—अ—८२—२०२१—२०२२ कुक्षी, दिनांक 7 जुलाई 2022

प्ररूप—“ख”

{ नियम— 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा—झाबुआ—पेटलावद—थांदला—सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाउस कमांक—३ से डी.सी.—१ तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईपलाईन के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम—सिंगाचोरी, प.ह.न.—१८, रा.नि.म. ०१, बाग, तहसील—कुक्षी, जिला—धार मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक—३०, मनावर, जिला—धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक—५ सन् 2013) की धारा—३ की उपधारा (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा—३ की उपधारा (१) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इकीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कुक्षी, जिला—धार मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
१	२	३	४	५
धार	कुक्षी	ग्राम— सिंगाचोरी, प.ह.न.—१८	204/1	0.053
			204/2/2	0.045
			138	0.007
			112/2	0.131
			113	0.015

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
धार	कुक्षी	ग्राम— सिंगाचोरी, प.ह.न.—18	107/1	0.072
			101	0.023
			102	0.026
			104	0.018
			100	0.004
			103	0.002
			86	0.073
			89	0.049
			55/1	0.047
			55/2	0.023
			53	0.012
			24	0.051
			32	0.029
कुल योग			20	0.717

पत्र क्र. 2054-री-1-2022-रा.प्र.क्र.-0004-अ-82-2021-2022

प्ररूप—“ख”**{ नियम—5 का उपनियम (2) }**

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्योग के अंतर्गत पम्प हाऊस कमांक-3 से डी.सी.-1 तक विछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईपलाईन के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम—बगोली, प.ह.न.-18, रा.नि.म. 01, बाग, तहसील—कुक्षी, जिला—धार मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक-30, मनावर, जिला—धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक—5 सन् 2013) की धारा—3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा—3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कुक्षी, जिला—धार मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (डिक्टेयर में)
1	2	3	4	5
धार	कुक्षी	ग्राम—बगोली, प.ह.न.—18	250	0.070
			248	0.025
			239	0.016
			247/1	0.061
			240	0.020
धार	कुक्षी	ग्राम—बगोली, प.ह.न.—18	212/283	0.018
			212/2	0.070
			212/282	0.060
			201/1	0.073
			204	— 0.054
कुल योग			10	0.467

पत्र क्र. 2026-री-1-2022-रा.प्र.क्र.-0005-अ-82-2021-2022

प्ररूप—“ख”

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईंक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाऊस कमांक-3 से डी.सी.-1 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईपलाईन के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-पिपरानी, प.ह.न.-02, रा.नि.म.-01, बाग, तहसील-कुक्षी, जिला-धार मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक-30, मनावर, जिला-धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कुक्षी, जिला-धार मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
धार	कुक्षी	ग्राम-पिपरानी, प.ह.न.-02	418 419 348 284 285 286	0.041 0.010 0.014 0.020 0.020

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अनित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
धार	कुक्षी	ग्राम—पिपरानी, प.ह.न.—02	278/2	0.031
			291	0.023
			417/1	0.080
			410/1	0.064
			342	0.073
			344/3	0.070
			347	0.034
			353	0.052
			355/1	0.054
			306/1	0.112
			305	0.008
			304	0.010
			283	0.004
			287/2	0.033
			265/1	0.078
265/4/2	0.064			
271	0.005			
269	0.010			
कुल योग		23	0.910	

पत्र क्र. 2059-री-1-2022-रा.प्र.क्र.-0006-आ-82-2021-2022

प्ररूप—“ख”

{ नियम—5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा—झाबुआ—पेटलावद—थांदला—सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाऊस कमांक—3 से डी.सी.—1 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईपलाईन के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम—चामड़र, प.ह.न.—18, रा.नि.म. 01, बाग, तहसील—कुक्षी, जिला—धार मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक—30, मनावर, जिला—धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक—5 सन् 2013) की धारा—3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा—3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इकीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कुक्षी, जिला—धार मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
धार	कुक्षी	ग्राम—चामड़र, प.ह.न.—18	312	0.031
			299/4	0.174
			279/1	0.080
			279/2	0.030
			278	0.035
कुल योग			05	0.350

पत्र क्र. 2021-री-1-2022-रा.प्र.क्र.-0007-अ-82-2021-2022

प्ररूप—“ख”**{ नियम- 5 का उपनियम (2) }**

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाउस कमांक-3 से डी.सी.-1 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईपलाईन के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-कांटी प.ह.न.-19, रा.नि.म.-01, बाग, तहसील-कुक्षी, जिला-धार मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक-30, मनावर, जिला-धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इककीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कुक्षी, जिला-धार मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
धार	कुक्षी	ग्राम-कांटी प.ह.न.-19	161/1	0.006
			161/2	0.006
			161/3	0.006
			161/4	0.006
			65/2	0.046
धार	कुक्षी	ग्राम-कांटी प.ह.न.-19	65/1	0.014
			53/2	0.034
			16/2	0.030
			19/1	0.028
			कुल योग	09
				0.176

पत्र क्र. 2034-री-1-2022-रा.प्र.क्र.-0008-अ-82-2021-2022

प्ररूप—“ख”

{ नियम— 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा—झाबुआ—पेटलावद—थांदला—सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाऊस कमांक—3 से डी.सी.—1 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईपलाईन के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम — पाड़ाबाधा, प.ह.न. 19, रा.नि.म. 01 बाग, तहसील—कुक्षी, जिला धार मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक—30, मनावर, जिला—धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक— 5 सन् 2013) की धारा— 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा— 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इककीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कुक्षी, जिला—धार मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
धार	कुक्षी	ग्राम — पाड़ाबाधा, प.ह.न. 19	133/3	0.004
			118/2	0.022
			120	0.062
			82/1	0.006
			81	0.009

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
धार	कुक्षी	ग्राम – पाड़ाबाधा, प.ह.न. 19	87	0.025
			102/1	0.035
			35/2	0.006
			35/1	0.024
			32	0.009
			30/3	0.072
			29	0.022
			20	0.020
कुल योग			14	0.320

पत्र क्र. 2049-री-1-2022-रा.प्र.क्र.-0009-अ-82-2021-2022

प्ररूप—“ख”

{ नियम—5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाऊस क्रमांक-3 से डी.सी.-1 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईपलाईन के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम—कुतेड़ी, प.ह.न.-19, रा.नि.म. 01, बाग तहसील-कुक्की, जिला-धार मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला-धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) की धारा-3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कुक्की, जिला-धार मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
धार	कुक्की	ग्राम—कुतेड़ी, प.ह.न.—19	70/1	0.010
कुल योग			01	0.010

पत्र क्र. 2016-री-1-2022-रा.प्र.क्र.-0010-अ-82-2021-2022

प्ररूप—“ख”

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाऊस कमांक-3 से डी.सी.-1 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईप्लाईन के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम—बराड़ा, प.ह.न.-15, रा.नि.म. 01, बाग तहसील-कुक्की, जिला-धार मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक-30, मनावर, जिला-धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईप्लाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईप्लाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईप्लाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप्लाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इकीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईप्लाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कुक्की, जिला-धार मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हिकटेयर में)
1	2	3	4	5
धार	कुक्की	ग्राम—बराड़ा, प.ह.न.-15	79/1	0.080
कुल योग			01	0.080

पत्र क्र. 2039-री-1-2022-रा.प्र.क्र.-0011-अ-82-2021-2022

प्ररूप—“ख”

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाऊस क्रमांक-3 से डी.सी.-1 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईपलाईन के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- धोगधर्डी, प.ह.नं.- 01, रा.नि.मं.-01, बाग, तहसील- कुक्की, जिला-धार मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कुक्की, जिला- धार मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
धार	कुक्की	ग्राम— धोगधर्डी, प.ह.नं.- 01	478/1 477/2 477/1 476 474	0.018 0.020 0.018 0.068 0.032

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
धार	कुक्षी	ग्राम— धोगधडी, प.ह.नं.— 01	291	0.032
			293	0.043
			294/1	0.043
			295	0.065
			297/2	0.006
			270/4	0.060
			254	0.080
			270/1/2	0.030
			208/2	0.101
			226	0.013
			262	0.054
			259	0.040
			257/1	0.028
			330/4	0.006
			258	0.025
			238/2	0.006
			240	0.080
कुल योग			22	0.868

पत्र क्र. 2006-री-1-2022-रा.प्र.क्र.-0012-आ-82-2021-2022

प्ररूप— “ख”

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नमंदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईको उदयहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाऊस कमांक-3 से डी.सी.-1 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईपलाईन के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- काकड़ कुआ, प.ह.नं.- 01, रानिंग-01, बाग, तहसील- कुक्षी, जिला-धार संघप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नमंदा विकास संभाग कमांक-30, मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केवल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केवल एवं डकट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितवद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुबिधानीय अधिकारी (राजस्व), कुशी, जिला- धार मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप मेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली मूलि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
धार	कुक्षी	ग्राम— काकड कुआ, प.ह.नं.— 01	234/2	0.034
			234/5	0.030
			234/3/1	0.003
			228	0.008
			225	0.031
धार	कुक्षी	ग्राम— काकड कुआ, प.ह.नं.— 01	177	0.013
			223	0.033
			222	0.050
			212/1	0.020
			212/2	0.020
			209/2	0.030
			209/1	0.008
			कुल योग	12
				0.280

पत्र क्र. 2044-री-1-2022-रा.प्र.क्र.-0013-आ-82-2021-2022

प्ररूप—“ख” { नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाऊस कमांक-3 से डी.सी.-1 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईपलाईन के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- गरड़ावद, प.ह.न.-04, रा.नि.म.-01, बाग, तहसील- कुक्षी, जिला-धार मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक-30, मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कुक्षी, जिला- धार मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हत्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
धार	कुक्षी	ग्राम— गरड़ावद, प.ह.न.-04	129/2	0.064
			130	0.100
			126	0.019
			122	0.120
			116/2/2	0.064
			19	0.076
			11	0.136
कुल योग			07	0.579

रा.प्र.क्र.—24—अ—82—2021—2022

प्ररूप—“घ”
{ नियम—6 देखिए }

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक—5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक—3407 /री—1/2021, कुक्षी, दिनांक 21.10.2021 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा — झाबुआ — पेटलावद — थांदला — सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाऊस क्रमांक—1 (ग्राम — चंदनखेड़ी, प.ह.न. 55, रा.नि.म. — निसरपुर तह. कुक्षी जिला धार) से पम्प हाऊस क्रमांक—2 (ग्राम — खंडलाई, प.ह.न. 27, रा.नि.म. — कुक्षी तह. कुक्षी जिला धार) तक बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप लाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम — भरडपुर, प.ह.न. 57/94, रा.नि.म. — निसरपुर तह. कुक्षी जिला धार में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 19.11.2021 को प्रकाशित की गई तथा क्लेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा—4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विलंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
धार	कुक्षी	ग्राम — भरडपुर, प.ह.न. 57/94	173/2/3 179 178/2/1 186/2 186/3	0.130 0.104 0.059 0.093 0.033

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
धार	कुक्षी	ग्राम – भरड़पुर, प.ह.न. 57 / 94	193/3	0.163
			205/2	0.078
			203/4	0.065
			207	0.031
			211/1	0.013
			208	0.020
			203/3	0.023
			211/2	
			211/3	0.124
कुल योग			13	0.936

पवार नवजीवन विजय, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 01 जुलाई 2022

क्र.-C-3076-चार-9-04-39 भाग-तीन-डी-पेंशन.—मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय, जबलपुर एवं खण्डपीठ, इन्दौर/ग्वालियर की स्थापना के निम्नलिखित प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के शासकीय सेवकों को उनकी अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने के उपरांत उनके नाम के सामने तालिका के स्तर्भ क्रमांक (6) में अंकित दिनांक से सेवानिवृत्त किया जाता है:—

प्रथम श्रेणी अधिकारी

क्र.	नाम	पदनाम एवं पदस्थापना	जन्मतिथि	62 वर्ष की आयु पूर्ण करने का दिनांक	सेवानिवृत्ति का दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	श्री मेहफूज अहमद	डिस्ट्री रजिस्ट्रार (एम.) उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश खण्डपीठ, ग्वालियर.	26-07-1961	25-07-2023	31-07-2023

द्वितीय श्रेणी अधिकारी

क्र.	नाम	पदनाम एवं पदस्थापना	जन्मतिथि	62 वर्ष की आयु पूर्ण करने का दिनांक	सेवानिवृत्ति का दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	श्री राजेन्द्र सिंह राजपूत	असिस्टेंट रजिस्ट्रार (एम.) उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर.	08-01-1961	07-01-2023	31-01-2023
2.	श्री हर सहाय पटेरिया	असिस्टेंट रजिस्ट्रार (एम.) उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर.	08-10-1961	07-10-2023	31-10-2023

जबलपुर, दिनांक 4 जुलाई 2022

क्र. C-3129-एक-7-3-2021(भाग-एक).—(1) रजिस्ट्री अधिसूचना क्रमांक डी-5110-एक-7-3-2021-भाग-1, जबलपुर, दिनांक 8 अक्टूबर 2021 में आंशिक संशोधन करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश मुख्यपीठ, जबलपुर तथा खण्डपीठ, इन्दौर/खण्डपीठ ग्वालियर के न्यायालय एवं रजिस्ट्री हेतु बुधवार, दिनांक 6 जुलाई 2022 को नगरपालिका निगम आम निर्वाचन 2022 हेतु अवकाश घोषित किया जाता है।

(2) उक्त घोषित अवकाश के एवज में शनिवार, दिनांक 9 जुलाई 2022 को उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर तथा खण्डपीठ इन्दौर/खण्डपीठ, ग्वालियर के न्यायालय एवं रजिस्ट्री हेतु कार्यदिवस घोषित किया जाता है।

क्र. A-2738-एक-7-3-2021(भाग-एक).—रजिस्ट्री अधिसूचना क्रमांक बी-210-एक-7-3-2021-भाग-1, जबलपुर, दिनांक 12 जनवरी 2022 में आंशिक संशोधन करते हुए, एतद्वारा, राज्य के जिला न्यायालयों में प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा, नगरीय निकायों के आम निर्वाचन, 2022 हेतु दिनांक 6 जुलाई 2022 एवं

13 जूलाई 2022 को संपूर्ण जिले अथवा उसके भाग में घोषित अवकाश के एवज में ऐसे जिले अथवा उसके भाग के लिये जिला न्यायालयों में दिनांक 16 जूलाई 2022 शनिवार को कार्यदिवस घोषित किया जाता है।

जबलपुर, दिनांक 7 जुलाई 2022

क्र. D-1533-एक-7-3-2021(भाग-एक).—राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा वर्ष 2022 में समस्त न्यायालयों में शनिवार, दिनांक 13 अगस्त 2022 एवं 12 नवम्बर 2022 को नेशनल लोक अदालत आयोजित किये जाने के फलस्वरूप रजिस्ट्री अधिसूचना क्रमांक डी-5110-एक-7-3-2021 भाग-1 जबलपुर, दिनांक 8 अक्टूबर 2021 में आंशिक संशोधन करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश मुख्यपीठ, जबलपुर तथा खण्डपीठ इन्दौर/खण्डपीठ, ग्वालियर की रजिस्ट्री हेतु शनिवार, दिनांक 13 अगस्त 2022 एवं शनिवार, दिनांक 12 नवम्बर 2022 को कार्यदिवस घोषित किया जाता है।

उक्त घोषित कार्यदिवस के एवज में शनिवार, दिनांक 27 अगस्त 2022 एवं शनिवार, दिनांक 26 नवम्बर 2022 को उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर तथा खण्डपीठ, इन्दौर/खण्डपीठ ग्वालियर की रजिस्ट्री हेतु अवकाश घोषित किया जाता है।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
रामकुमार चौबे, रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 27 जून 2022

क्र. D-1411-दो-2-35-2019.—श्रीमती निरूपमा श्रीवास्तव, डिप्टी रजिस्ट्रार (एम.), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 15 से 17 जून 2022 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 18 एवं 19 जून 2022 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती निरूपमा श्रीवास्तव, डिप्टी रजिस्ट्रार (एम.), उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश बेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती निरूपमा श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो डिप्टी रजिस्ट्रार (एम.), के पद पर कार्यरत रहतीं।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
यू. एस. दुबे, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी।

Jabalpur, the 22nd June 2022

No. 86 CJ-I/162.—In exercise of powers conferred Under Article 235 of the Constitution of India, the High Court as Disciplinary Authority has revoked Suspension order No. 140 dated 14th December, 2021 of Shri N. P. Singh, the then Principal District & Sessions Judge, Ujjain (presently under suspension with headquarters at Balaghat) with immediate effect.

Jabalpur, the 27th June 2022

No. 88 CJ-II/1964.—In the matter of telecasting of news, by SS News M. P. (News Channel) on 4-3-2022, the suspension of Shri Pankaj Jaiswal, the then I Civil Judge, senior Division and Chief Judicial Magistrate, Harda, presently posted as I District & Additional Sessions Judge, Anuppur, has been already revoked. Therefore, as directed, he will entitled for full pay and allowances, as per rules, during the period of suspension.

No. 90 CJ-II/2014.—In the matter of telecasting of news, by SS News M. P. (News Channel) on 4-3-2022, the suspension of Smt. Sonali Sharma, the then II Civil Judge, Junior Division (Regular Court), Harda, presently posted as II Civil Judge Class-II, Dindori, has been already revoked. Therefore, as directed, she will entitled for full pay and allowances, as per rules, during the period of suspension.

No. 92 CJ-II/1930.—In the matter of telecasting of news, by SS News M. P. (News Channel) on 4-3-2022, the suspension of Smt. Rachna Atulkar Joshi, the then III Additional Judge to Civil Judge, Junior Division, Harda, presently posted as II Civil Judge Class-II, Teonther, District Rewa, has been already revoked. Therefore, as directed, she will entitled for full pay and allowances, as per rules, during the period of suspension.

By order of the High Court,
PRAMOD KUMAR AGARWAL, Principal Registrar
(Vigilance).

जबलपुर, दिनांक 30 जून 2022

क्र. A-2703-दो-2-102-2017.—श्री हृदेश, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छतरपुर को दिनांक 29 जुलाई से 6-अगस्त 2022 तक, नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 7 अगस्त 2022 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री हृदेश, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छतरपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री हृदेश, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. A-2705-दो-2-18-2021.—श्री डी. के. नागले, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पश्चिम निमाड़, मण्डलेश्वर को दिनांक 9 से 14 मई 2022 तक, छह दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश में से दिनांक 14 अप्रैल 2022 का एक दिन का अर्जित अवकाश, उपयोग नहीं किये जाने के कारण निरस्त किया जाता है।

क्र. A-2707-दो-2-62-2013.—श्री ओंकार नाथ, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायसेन को दिनांक 16 से 23 जून 2022 तक, आठ दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 24 से 25 जून 2022 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश और स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री ओंकार नाथ, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायसेन, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायसेन को रायसेन पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ओंकार नाथ, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-1466-दो-2-61-2021.—श्री पूरन चन्द्र गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, बैतूल को 11 से 15 जुलाई 2022 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 16 एवं 17 जुलाई 2022 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री पूरन चन्द्र गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, बैतूल को बैतूल पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री पूरन चन्द्र गुप्ता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-1468-दो-2-3-2018.—श्री राजवर्धन गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, सतना को दिनांक 27 जून से 2 जुलाई 2022 तक, छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में 26 जून 2022 के एवं अवकाश के पश्चात् में दिनांक 3 जुलाई 2022 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री राजवर्धन गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, सतना को सतना पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजवर्धन गुप्ता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

जबलपुर, दिनांक 1 जुलाई 2022

क्र. D-1471-दो-3-21-2022.—श्री रविन्द्र सिंह प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, कटनी को दिनांक 12 से 22 जुलाई 2022 तक, ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री रविन्द्र सिंह प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, कटनी को कटनी पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री रविन्द्र सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-1477-दो-3-32-2022.—श्री अखिलेश कुमार मिश्र, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, नीमच को दिनांक 28 जून से 2 जुलाई 2022 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में 3 जुलाई 2022 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री अखिलेश कुमार मिश्र, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, नीमच को नीमच पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अखिलेश कुमार मिश्र, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

जबलपुर, दिनांक 7 जुलाई 2022

क्र. B-3406-दो-2-33-2020.—श्री एच. के. मिश्र, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, रत्लाम को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2019 से 31 अक्टूबर 2021 तक 02 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. C-3168-दो-2-75-2017.—श्री रत्नेश चन्द्र सिंह विसेन, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर को दिनांक 1 से

9 जुलाई 2022 तक, नौ दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश में से दिनांक 8 से 9 जुलाई 2022 तक, दो दिन का स्वीकृत अर्जित अवकाश उपभोग नहीं किये जाने के कारण निरस्त किया जाता है।

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
यू. एस. दुबे, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी।

मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय, खण्डपीठ, ग्वालियर

ग्वालियर, दिनांक 1 जुलाई 2022

क्र. 2873-स्था.—श्री अनिल कुमार देशमुख, मुख्य ग्रंथपाल/डिप्टी रजिस्ट्रार (प्रभारी), मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय, खण्डपीठ ग्वालियर को दिनांक 20 से 23 जून 2022 तक, कुल चार दिवस का अर्जित अवकाश मुख्यालय छोड़ने की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 18 से 19 जून 2022 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री अनिल कुमार देशमुख, मुख्य ग्रंथपाल/डिप्टी रजिस्ट्रार (प्रभारी), मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय, खण्डपीठ ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनिल कुमार देशमुख, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो मुख्य ग्रंथपाल/डिप्टी रजिस्ट्रार (प्रभारी) के पद पर कार्यरत रहते।

ग्वालियर, दिनांक 12 जुलाई 2022

क्र. 3122-स्था.—श्री प्रशांत पी. गाडे, डिप्टी रजिस्ट्रार (एम), मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय, खण्डपीठ ग्वालियर को दिनांक 16 से 27 जून 2022 तक, कुल बारह दिवस का अर्जित अवकाश मुख्यालय छोड़ने की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री प्रशांत पी. गाडे, डिप्टी रजिस्ट्रार (एम), मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय, खण्डपीठ ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री प्रशांत पी. गाडे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो डिप्टी रजिस्ट्रार (एम) के पद पर कार्यरत रहते।

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
देव नारायण मिश्र, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार।

मध्यप्रदेश, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर

(574, साउथ सिविल लाईन्स)

जबलपुर, दिनांक 30 जून 2022

क्र. फा. नं. 18-स्था.-राविसेप्रा-1834-2022.—मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जिला विधिक सहायता अधिकारी (प्रवेश स्तर) के पद हेतु निम्न चयनित अभ्यर्थी को वेतनमान 56100—177500 पर नियमानुसार समय-समय पर देय भत्तों सहित तीन वर्ष की परिवीक्षा पर अस्थायी एवं स्थानापन रूप से, आगामी आदेशपर्यन्त तक उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से नियुक्ति प्रदान की जाकर सारणी के कॉलम नम्बर (05) में दर्शित पदस्थापना स्थान पर पदस्थि किया जाता है:—

क्र. (1)	रोल नम्बर (2)	नाम व पिता का नाम (3)	गृह जिला (4)	पदस्थापना स्थान (5)
1	MPAO2103932	श्री देवेन्द्र सिंह परस्ते पिता श्री मानसिंह परस्ते	मेन मार्केट बिछिया रोड, समनापुर, थाना समनापुर, तह. डिण्डौरी, जिला डिण्डौरी, मध्यप्रदेश।	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पन्ना।

उपरोक्तानुसार चयनित अभ्यर्थी को वित्त विभाग के अधिसूचना मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 फरवरी 2020 के अधीन जिला विधिक सहायता अधिकारी (प्रवेश स्तर) के वेतनमान 56100—177500 के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत राशि स्टायरेंड के रूप में देय होगा। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान में न्यूनतम वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जावेगा।

उक्त अभ्यर्थी पदस्थापना स्थल पर दिनांक 15 जुलाई 2022 अथवा इसके पूर्व पदभार ग्रहण करेंगे।

अभ्यर्थी श्री देवेन्द्र सिंह परस्ते पिता श्री मानसिंह परस्ते की नियुक्ति उनके विशद्ध लंबित दाइडक प्रकरण क्रमांक RCT 225/2020, न्यायालय, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, डिण्डौरी (म. प्र.) के अंतिम निर्णय के अधीन की गई है।

शर्तेः—

1. वे भारत के संविधान एवं संप्रभुता में निष्ठा रखेंगे।
2. मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के अंतर्गत नियमों का पालन करेंगे।
3. मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अस्थायी तथा अर्द्धस्थायी सेवा) नियम, 1960 के नियम 12(ए) के अनुसार किसी भी समय किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके बदले एक माह का वेतन तथा भत्ता देकर सेवाएं समाप्त की जा सकेगी।
4. एक माह का नोटिस दिए बिना या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते का भुगतान किए बिना शासकीय सेवा छोड़ने पर वेतन तथा भत्ते की राशि भू-राजस्व की बकाया की भाँति उनसे वसूल की जावेगी।
5. उन्हें मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, बल्लभ भवन, भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ-9-3-2003-नियम-चार, भोपाल, दिनांक 13 अप्रैल 2005 के अनुसार दिनांक 1 जनवरी 2005 के पश्चात् नियुक्त होने वाले कर्मचारियों पर परिभाषित पेंशन अंशदान योजना, 2005 लागू होगी।
6. अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के 15 दिवस के अन्दर स्वयं के व्यय पर संभागीय मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी स्वस्थ्यता परीक्षण का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। संभागीय मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त शारीरिक एवं मानसिक स्वस्थ्यता का प्रमाण-पत्र प्रतिकूल होने की दशा में नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
7. कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत अन्य किसी विभाग में नौकरी के लिए आवेदन देने या पत्राचार करने के पूर्व राज्य प्राधिकरण की अनुमति लेना आवश्यक होगा तथा बिना अनुमति के सीधे आवेदन-पत्र भेजे जाने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
8. आवेदन-पत्र के साथ संलग्न प्रमाण-पत्रों के तथ्यों को छिपाये जाने, कूटरचित या फर्जी पाये जाने या अन्य किसी कारण से गलत पाये जाने पर नियुक्ति स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।
9. अभ्यर्थीगण द्वारा नियत समय-सीमा के अंदर कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में उनकी नियुक्ति स्वयमेव निरस्त मानी जावेगी।
10. अभ्यर्थियों द्वारा ज्वाईनिंग करने के उपरान्त नियुक्ति आदेश में उल्लेखित शर्तों के पालन संबंधी अभिस्वीकृति पत्र एवं उपस्थिति प्रतिवेदन उचित माध्यम से राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर को प्रेषित किया जावेगा।
11. इनकी सेवाएं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सामान्य नियन्त्रण में रहेगी।
12. इन नियुक्तियों के लिए मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 व उसके तहत राज्य शासन द्वारा जारी उपबंधों का अनुपालन किया गया है।

माननीय कार्यपालक अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार,
राजीव कर्म्मेह, सदस्य-सचिव।